फासीवाद और हर तरह के शोषण-दमन के

विरुद्ध

द्वितीय अंकः मई, 2018 | केवल निजी वितरण हेतु | सहयोग राशि - 5 रूपये

सम्पादक

कृपा शंकर

विश्वविजय

परामर्श मण्डल

सुधीर विद्यार्थी

गौहर रज़ा

शम्सुल इस्लाम

अनिल चमड़िया

श्रवण

सम्पर्क सूत्र

विश्वम्भर

मुसैला चौराहा

पोस्ट- बड़हरा

जनपद- देवरिया

पिन- 274501

मो0- 8173866378

antifascistfront2018@gmail.com

blog: antifascistfront2018.blogspot.com

भागीदार संगठन

1. जन मुक्ति मोर्चा (आजमगढ़),
2. मजदूर किसान एकता मंच (उ0प्र0),
3. रिहाई मंच (उ0प्र0),
4. भगत सिंह छात्र मोर्चा (B.C.M.)(उ0प्र0)
5. इंकलाबी छात्र मोर्चा (I.C.M.)(उ0प्र0),
6. भगत सिंह विचार मंच (चन्दौली),
7. दस्तक प्रत्रिका (इलाहाबाद),
8. S.F.C.(U.P.), 9. D.S.A.(U.P.)
10. बुनकर बिरादराना तंज़ीम(52वीं व 14वीं) (वाराणसी),
11. भगत सिंह अम्बेडकर विचार मंच (वाराणसी),
12. आजमगढ़ जन शिक्षा अधिकार मंच,
13. स्ववित्तपोषित महाविद्यालय शिक्षक संघ (उ0प्र0),
14. अम्बेडकरवादी बहुजन समाज संगठन (गोरखपुर),
15. राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा (उ0प्र0),
16. मुनीजा खाँ,
17. डा0 अम्बेडकर संघर्ष समिति (उ0प्र0),
18. पूर्वांचल छात्र संगठन (आजमगढ़),
19. जाति अन्मूलन मोर्चा (उ0प्र0)
20. ग्राम विकास मंच (बलिया),
21. जन संघर्ष समन्वय समिति (बलिया),
22. इण्डियन पीपूल्स सर्विसेज (बलिया),
23. जन कला मंच, 24. P.M.F.
25. दलित अल्पसंख्यक पिछड़ा आदिवासी न्याय मंच (बलिया),
26. महिला विकास मंच (बलिया),
27. शहीद भगत सिंह डा0 अम्बेडकर मंच (गोरखपुर),
28. लोक जनवादी अधिकार मंच (गोरखपुर)
29. भीम सेना (उ0प्र0), 30. बाल कमेटी संघ
31. यंग इण्डिया स्टडी सर्किल (आजमगढ़)
32. नवयुवक अम्बेडकर दल (आजमगढ़)
33. डॉ अम्बेडकर ग्राम सुधार समिति (आजमगढ़)

सम्पादकीय

जम्मू-कश्मीर के कठुआ में 8 साल की बच्ची से मंदिर में कई दिनों तक बलात्कार करके उसकी क्रुर हत्या की गयी थी। यह घटना जनवरी की थी लेकिन अप्रैल के महीने में सुर्खियों में तब आयी जब बलात्कारियों और हत्यारों के पक्ष में "हिन्दू एकता मंच" के बैनर तले प्रदर्शन किया गया। खास यह रहा कि प्रदर्शन में भाजपा के दो विधायक भी शामिल हुये।

दूसरी घटना उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में 17 साल की लड़की से बलात्कार की है। यह घटना जून 2017 की थी लेकिन खबर तब बनी जब पीड़ित लड़की ने मुख्यमंत्री आवास पर आत्महत्या करने की कोशिश की। लड़की से बलात्कार का अपराधी विधायक कुलदीप सिंह संगर और उसके साथी थे। सेंगर भाजपा का विधायक है इसलिए ही इतने दिनों तक उसके तथा उसके गिरोह के लोगों पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही थी, जबकि लड़की पुलिस के आला अफसरों सहित राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से लिखित गुहार लगा चुकी थी। इस दौरान लड़की के पिता को भाजपा के सेंगर गिरोह ने पीट-पीट कर मार डाला। बलात्कार और हत्या के इन दोनों घटनाओं में हिन्दुत्ववादी केन्द्र व राज्य की सरकारों, पुलिस अपराधियों और न्यायालयों का गठजोड़ सामने आया है। खबर के सार्वजनिक होने पर देश और विदेश में आम जनता का तीव्र प्रतिरोध सड़कों पर दिखायी दिया।

इन घटनाओं के विरुद्ध जब लोग सड़कों पर विरोध-प्रदर्शन कर रहे थे, ठीक उसी समय योगी ने भाजपा के केन्द्रीयमंत्री रहे चिन्मयानन्द पर दर्ज हुये बलात्कार के केस को वापस लेने की घोषणा की। पीड़ित लड़की ने योगी सरकार के इस फैसले का विरोध करते हुये न्यायालय और राष्ट्रपति को चिठ्ठी लिखी। योगी की सरकार ने तो सत्ता पर काबिज होते ही अपने सहित आर.एस.एस. के विचार वाले अपराधियों, बलात्कारियों और दंगाईयों के उपर लगे संगीन आपराधिक मामलों को एक के बाद एक वापस लेने का सिलसिला शुरू कर दिया।

मनुवादी हिन्दुत्व सत्ता के रूख का असर न्यायालयों में भी दिखने लगा। 2002 में गुजरात के नरोदा पाटिया में दंगायी हत्यारों ने 97 मुसलमानों को क्रुरता के साथ मौत के घाट उतार दिया था। इन हत्या के अपराधियों में भाजपा की विधायक माया कोडनानी और बजरंग दल का बाबू बजरंगी भी था। जिसे निचली अदालत ने आजीवन कारावास की सजा मुकर्रर की थी। 20 अप्रैल को गुजरात हाईकोर्ट के जज ने माया कोडनानी सहित 18 हत्यारों को बरी कर दिया और बजरंगी को सज़ा को कम कर दिया।

16 अप्रैल को हैदराबाद की निचली अदालत के एक जज ने मक्का मस्जिद विस्फोट मामले में असीमानन्द समेत पाँच अपराधियों को बरी कर दिया। जबकि असीमानन्द ने न्यायालय में अपनी मर्जी से अपना अपराध कबूल किया था। अब असीमानन्द भाजपा का स्वयं सेवक है और पश्चिम बंगाल में पार्टी के लिये काम करेगा, ऐसी बात प्रकाशित हुई है। वैसे उपर से नीचे तक के न्यायालय में बैठे न्यायाधीशों पर अब सवाल उठने लगे हैं कि इनका सत्ता व अपराधियों के साथ सांठ-गांठ है। जज लोया की संदिग्ध मौत पर जाँच की अर्जी को खरीज करके सुप्रीम कोर्ट के चीफ जास्टिस दीपक मिश्रा ने अपनी पक्षधरता का खुलासा कर दिया है। उन पर महाभियोग चलाये जाने की नोटिस जारी की गयी। जिसे उपराष्ट्रपति वैंकैया नायडू ने तुरत खारिज कर दी है।

पिछले दिनों 20 मार्च को सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने 1989 के ए.सी/एस.सी एक्ट के दुरपयोग का हवाला देकर उसमें संशोधन का आदेश दे दिया। इस आदेश से अब ए.सी/एस.सी एक्ट में आरोपी की तुरन्त गिरफ्तारी न होकर डी. एस. पी. रैंक के अधिकारी के जाँच रिर्पोट के आधार पर होगी। एक दूसरे मुकदमें में सुप्रीम कोर्ट ने विश्वविद्यालयों में रिक्त पदों की भर्ती के लिए विभागवार प्रक्रिया अपनायें जाने की हाई कोर्ट के फैसले के पक्ष में अपनी मुहर लगा दी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से संविधान द्वारा सामाजिक आधार पर दी गयी आरक्षण की व्यवस्था ही समाप्त हो गयी। इन दोनों फैसलों के विरोध में एस.सी/एस.टी., ओ.बी.सी. और प्रगतिशील समाज के लोगों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी और 'भारत बंद' के आह्वान के साथ पूरे देश भर में 2 अप्रैल को सड़को पर हजारों की संख्या में प्रदर्शन किया। इस लोकतांत्रिक प्रदर्शन पर देश भर में कई जगहों पर मनुवादी पुलिस व मनुवादी गुण्डा गिरोहों ने आक्रमण करके आधे दर्जन दलितों की हत्या कर दिया था। 9 मई को मनुवादी राजपूतों द्वारा महाराणा प्रताप की जयंती के अवसर पर भीम आर्मी के सहारनपुर जिलाध्यक्ष कमल वालिया के भाई सचिन वालिया की हत्या कर दी गयी है। ये घटनायें यह साबित करने के लिए पर्याप्त है कि संघी गिरोह व भाजपा द्वारा बहुप्रचारित हिन्दू एकता का अर्थ सवर्ण जातियों के अहंकारी व्यवस्था ही है।

अप्रैल के महीने में ही झारखण्ड से खबरें आ रही हैं कि सेना, अर्द्ध सैनिक बल और पुलिस द्वारा जंगल व पहाड़ों से आदिवासियों को खदेड़ जा रहा है। हाट-बाजार में बिकने वाले राशन पर रोक लगायी जा रही है और दुकानदारों को शख्त निर्देश दिया जा रहा है कि किसी को भी पाँच किलों से ज्यादा राशन न बेचा जाय। ये सैनिक घातक हथियारों से लैस हैं जो मोर्टार और गोलों से आदिवासी गाँवों पर लगातार हमले कर रहें हैं। आदिवासी अपना जल-जंगल-जमीन व घर छोड़कर भागने को बाध्य हो रहे हैं। यह युद्ध भारतीय शासक द्वारा अपनी ही जनता के विरुद्ध लड़ा जा रहा है। सरकार द्वारा प्रचार तो यह किया जा रहा है कि यह युद्ध माओवादियों के खिलाफ है। लेकिन उनका असली मकसद तो आदिवासी इलाकों की बेशकीमती प्राकृतिक संसाधन पर देश और विदेश के पूंजीपतियों का कब्जा जमाना है। आदिवासी माओवादियों के साथ मिलकर लूट के खिलाफ जल-जंगल-जमीन को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं।

इस लड़ाई में कुछ विभत्स घटनायें भी सामने आयी हैं जिसे सेना और अर्द्धसैनिक बलों ने आदिवासी महिलाओं के विरुद्ध अंजाम दिया। आदिवासी महिलाओं से सामुहिक बलात्कार, उनके स्तन काट लेना-निचोड़ना तथा हिरासत में उनकी योनियों में पत्थर भर देने जैसी कुछ घटनाएं ही जंगल-पहाड़ से छनकर अखबारों की सूर्खियां बन सकीं हैं। पिछले दिनों देश के राष्ट्रपति ने उस पुलिस अधिकारी अंकित गर्ग को पुरस्कृत किया जिसने आदिवासी महिला के गुप्तांग में पत्थर भरवाया था।

घटनाओं की फेहरिश्त काफी लम्बी है। आखिर ये घटनायें हमारे समाज-देश की किस बिमारी का लक्षण है ?ये सारी घटनायें बेहद सोचे-समझे ढंग से सत्ता के सारे हथियारों द्वारा अंजाम दिया जा रहा है ? इतिहास के पन्नों में ऐसे लक्षण युक्त बिमारी को फासीवाद कहा गया है। जो इटली में मुसोलिनी और जर्मनी में हिअलर के नेतृत्व में फला-फूला था। इनकी सत्ता ने लाखों इंसानों का कत्ल किया, महिलाओं से बलात्कार किया। अकेले जर्मनी में हिटलर ने यहुदियों की 60 लाख आबादी को गैस चेम्बरों में मार दिया था, सिर्फ इसलिये कि वे यहुदी थे।

फासीवाद की बिमारी का जिक्र करते हुए उसकी पृष्ठभूमि के सन्दर्भ में समाज वैज्ञानिकों ने कहा है फासीवाद वित्तीय पूंजी के सबसे ज्यादा प्रतिक्रियावादी, अन्धराष्ट्रवादी और सबसे ज्यादा साम्राज्यवादी तत्वों का खुला आतंककारी शासन होता है। फासीवाद आर्थिक संकट के दौर में पैदा होता है। वह राज्य को देवता बना देता है। जिसकी बेदी पर व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता की कुर्बानी होती है। फासीवाद जायदाद वालों और प्रतिगामी तत्वों से मिला होता है। और घोर प्रतिक्रियावादी होता है।

इन परिभाषाओं के आइने में अपने देश की तस्वीर साफ तौर पर देखी जा सकती है। नोटबन्दी, जी.एस.टी. बेरोजगारी, मंहगाई उसी फासीवाद की पृष्ठभूमि है और यहुदियों की जगह अपने देश में मुसलमानों, आदिवासियों, दलितो, महिलाओं को रखकर देखें तो बिमारी साफ तौर पर नजर आ जाती है। देश-काल की परिस्थितियों में बदलाव के कारण अपने देश में इस बिमारी को मनुवादी, ब्राह्मणवादी फासीवाद कहना ठीक होगा। और इस बिमारी के समूल नाश के लिए संयुक्त रूप संगठित संघर्ष ही एक मात्र दवाई है जिससे मुसोलिनी और हिटलर की सत्ता का अन्त हुआ था। आज भी सीरिया, मेक्सिको, ब्राजील सहित बहुत से देशों में जुझारू प्रतिरोध आन्दोलन चल रहे हैं।

कार्ल मार्क्स : मानव समाज के लिए समर्पित एक महामानव

– कृपा शंकर

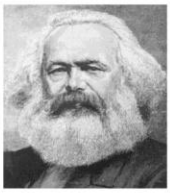

पिछली शताब्दी के अंतिम दो दशकों के जंक्शन पर पूंजीवादी–साम्राज्यवाद के पैरोकारों ने इतिहास के अंत की घोषणा कर दिया था। उस समय बर्लिन की दिवार ढह रही थी और 1956 से पूंजीवादी रास्ते पर चल रहे रूसी सोवियत समाजवादी संघ का विघटन हो रहा था। उदारीकरण–निजीकरण–वैश्वीकरण के नाम पर पूंजीवादी–साम्राज्यवाद अपने संकटों को टालने व मुनाफा के दोहन के लिए नयी विश्व व्यवस्था को बनाने का प्रयास कर रहा था। उस समय साम्राज्यवाद के खूनी लूट की मलाई पर जीने वाले बुद्धिजीवियों ने चिल्लाना शुरू कर दिया कि अब पूंजीवाद का कोइ विकल्प नहीं है। मार्क्सवाद का अंत हो गया। परन्तु उसके एक दशक बाद ही इस मुनाफाखोर व्यवस्था का वित्त संकट सिलसिलेवार आने लगा तो यूरोप के बुद्धिजीवियों को मार्क्स की ओर लौटना पड़ा। वर्तमान में मार्क्स को उनके अनुयायियों से ज्यादा उनके विरोधी पढ रहे हैं। कार्ल मार्क्स मानव समाज के एक ऐसे शख्स थे जिसने क्रांति के विचार को लाकर दुनियाभर में भूचाल ला दिया था।

कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 को उस समय के प्रशा (आज जर्मनी) के राइन प्रान्त के त्रियेर में हुआ था। उनके माता–पिता यहूदी थे। इसी कारण उन्हें लॉ करने के बाद प्रेक्टिस नहीं करने दिया गया था। बाद में वे इसाई बन गये थे। मार्क्स की शुरूआती शिक्षा इसाई धर्म में हुई थी । परन्तु वे आगे चलकर नास्तिक बने। उस समय दुनिया में उथल–पुथल चल रहा था। पुराने तरह की शासन प्रणाली–सामंतशाही पर आधारित राजशाही का अंत होने लगा था। अब यह विचार आ गया था कि जनता पर शासन का अधिकार उसके द्वारा चुने प्रतिनिधियों का है न कि किसी राजा का।

स्वतंत्रता–समानता–भाईचारा के नारे और लोकतंत्र के विचार के साथ दो नये वर्गों–पूंजीपति व सर्वहारा का जन्म हो गया था।

परन्तु रूसो–मांतेस्यू–वाल्तेयर की लाख सदिक्षाओं के बावजूद पूंजीवादी शासन–प्रणाली बहुत जल्द संपत्तिशाली वर्गों की क्रूर तानाशाही साबित हुई थी। शासक वर्ग में रूपान्तरित होते ही पूंजीपति वर्ग ने स्वतंत्रता–समानता–भाईचारा के झण्डे को फेंक दिया और उत्पादन के साधनों पर कब्जा कर पूरे मानव श्रम के दोहन के द्वारा निजी संपत्ति को बढाने में लग गया। उसने कच्चे माल बाजार और क्षेत्रीय विस्तार के लिए विनाशकारी युद्धों का सिलसिला शुरू कर दिया। इसलिए कुछ विचारकों का मोहभंग हो गया और वे काल्पनिक समाजवाद का विचार लाने लगे थे। उस समय जर्मनी में दर्शन पर गम्भीर बहसें चल रही थीं। इसी विश्व परिस्थिति में मार्क्स का पदार्पण विश्व पटल पर हुआ था। यहां फ्रेडरिक एंगेल्स का जिक्र करना जरूरी है क्योंकि कार्ल मार्क्स और एंगेल्स एक–दूसरे के पूरक रहे थे। कामरेड लेनिन के शब्दों में कहा जाय तो एंगेल्स के बगैर मार्क्स का जिन्दा रहना भी सम्भव नहीं रह सकता था।

कार्ल मार्क्स का विविध क्षेत्रों में योगदानः मार्क्सवाद

कार्ल मार्क्स ने मानवीय चिन्तन की दिशा में निर्णायक हस्तक्षेप किया था। वह यह कि चिन्तन का आधार है मानव का सामाजिक अस्तित्व। इस विचार ने उस समय तक मानव समाज की प्रचलित अवधारणा को बदल दिया कि किसी दिव्य शक्ति ने सोच समझकर इस दुनिया व ब्रहमाण्ड का निर्माण किया है। इसलिए न तो दुनिया को समझा जा सकता है और न ही इसे बदला जा सकता है। इसके विपरीत मार्क्स व एंगेल्स ने स्थापित किया कि इस पूरे ब्रहमाण्ड में पदार्थ और उसकी गति के कारण विकास व परिवर्तन होता है। इसी विकास क्रम में मानव समाज का निर्माण व विकास हुआ है। इस कारण दुनिया को जाना समझा जा सकता है और उसे बदला जा सकता है। इसका यह भी अर्थ है कि इस पूरे ब्रहमाण्ड में कुछ भी अज्ञेय नहीं है परन्तु अज्ञात बहुत कुछ है। मार्क्स एंगेल्स ने यह भी बताया कि मानव के जीवन निर्वाह के साधन से उसकी सोच का निर्धारण होता है। इसे ही मार्क्सवादी दर्शन में द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद कहा जाता है।

मार्क्स ने इस द्वन्द्ववादी नजरिये को मानव समाज पर लागू करके मानव सभ्यता के विकास को परिभाषित किया। उस समय तक विचारकों में यह स्थापित था कि मानव सभ्यता का ज्ञात इतिहास वर्ग–संघर्षों का इतिहास है। मार्क्स ने इस विचार को आगे विकसित किया कि शासक–शोषक वर्ग के बीच जारी यह वर्ग–संघर्ष विकसित होते हुए निश्चित रूप से सर्वहारा की तानाशाही (पूंजीपति वर्ग की तानाशाही की जगह) में रूपान्तरित होगा और यह सर्वहारा की तानाशाही क्रमशः वर्गविहीन–शोषणविहीन–राज्यविहीन साम्यवादी समाज में विलुप्त हो जायेगा। इसे ही मार्क्सवाद के वर्गसंघर्ष का सिद्धान्त या साम्यवाद का सिद्धान्त अथवा वैज्ञानिक समाजवाद का सिद्धान्त कहा जाता है। और इस नजरिये को ऐतिहासिक भौतिकवाद कहा जाता है।

मार्क्सवादी दर्शन का सबसे नवीन योगदान राजनीतिक अर्थशास्त्र के क्षेत्र में रहा है। वह है पूंजीवादी समाज व उसके पूरे अर्थतंत्र का विश्लेषण। मार्क्स ने बताया कि पूंजीवादी समाज में पूंजी जिसे मार्क्स ने मृत श्रम (किया हुआ श्रम) कहते हैं, की वृद्धि का रहस्य श्रमिकों के अतिरिक्त श्रम की लूट में निहित है। इस दुनिया में दिखायी देने वाला समस्त संपदा प्रथमतः प्रकृति प्रदत्त है और द्वितीयतः मानव के सामूहिक श्रम की देन है। आज मानव समाज का मुख्य अन्तरविरोध इसी में निहित है कि समस्त संपदा का उत्पादन श्रमिक वर्ग के सामूहिक श्रम द्वारा हो रहा है। परन्तु निजी मालिकाना के कारण इस संपदा का इस्तेमाल पूंजीपति वर्ग के मुनाफा को बढाने में होता है। इससे शासक वर्ग के अल्पतंत्र का निर्माण होता है। इसी कारण पूरा मानव समाज विनाशकारी समाजिक संघर्ष में लिप्त है।

कार्ल मार्क्स का व्यक्गित जीवन कठिनाईयों से भरा था। वे स्वयं एक मध्यवर्गीय परिवार से थे और उन्होंने अपने बचपन के प्यार जेनी वॉन वेस्टफालेन जो कि सबसे ज्यादा सुन्दर महिलाओं में शुमार थीं से 19 जून 1843 को शादी किया था। यह भी उल्लेखनीय है कि जेनी के बड़े भाई 1850 से 1858 तक प्रशा के गृह मंत्री रहे थे। और उसी दौरान मार्क्स और उनका पूरा परिवार मजदूर वर्ग और मानव मुक्ति की विचारधारा के प्रवक्ता होने के नाते घोर तंगहाली और बदहाली का जीवन जीने को बाध्य था। कार्ल मार्क्स को कोई देश अपनी नागरिकता देने को तैयार नहीं होता था। उनकी तंगहाली की स्थिति यह हुई कि उनके सात बच्चों में से मात्र 3 बच्चियां जेनी, लौरा और एलिनार थी। उनके दो दामाद भी उस समय फ्रांस के मशहूर समाजवादी और सांसद रहे थे। उस समय मित्रता के प्रतीक बन चुके फ्रेडरिक एंगेल्स ने मार्क्स को आर्थिक, पारिवारिक, व्यक्तिगत और सबसे बढ़कर उनकी विचारधारा में उनका अटूट साथ दिया था।

कार्ल मार्क्स ने पहला अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन का गठन किया था और उसका वैचारिक और व्यवहारिक नेतृत्व प्रदान किया था। उन्होंने फ्रांस में 1789 की जनवादी क्रान्ति, नेपोलियन का विजय अभियान से लेकर पेरिस कम्यून तक के वर्ग संघर्ष, इंग्लैण्ड में हो रही औद्योगिक क्रान्ति और जर्मनी में फायरबाख व हेगेल के दर्शन का गहन अध्ययन और विश्लेषण करते हुए वैज्ञानिक समाजवाद को सैद्धांतिक रूप से स्थापित किया। और अपने जीवन में मजदूर वर्ग को सैद्धांतिक आधार के रूप में पूंजी के लेखन के काम को आर्थिक और शारीरिक परेशानियों के बावजूद पूरा किया। कार्ल मार्क्स 14 मार्च 1883 को अपनी आराम कुर्सी पर हमेशा के लिये गये थे। उसके बाद उनके सभी योगदानों का संश्लेषण करते हुए एंगेल्स ने 1895 तक विश्व के मजदूर वर्ग को नेतृत्व देने और मार्क्सवाद को स्थापित किया था।

मार्क्स के सपनों के आधार पर कामरेड लेनिन के नेतृत्व में 1917 में पहली सफल समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न हुई थी और मजदूरों किसानों के नेतृत्व में पहली बार एक ऐसा वर्ग सत्ता सम्भाला था जिसका उद्देश्य मुनाफा कमाना या शोषण करना नहीं था। बल्कि शोषण विहीन मानव समाज का निर्माण करना उसका मकसद था। उसके बाद पूरे दुनिया में इस विचारधारा के प्रभाव में देशों की गुलामी के खिलाफ, सामंतशाही के खिलाफ और पूंजीपति वर्ग के खिलाफ संघर्षों की श्रृंखला चल पड़ी थी। उसी दौरान पूंजीवादी साम्राज्यवाद के वित्त संकट के चलते हिटलर और मुसोलिनी के नेतृत्व में फासीवाद का दानव उत्पन्न हुआ और मानवता के उपर भयंकर विश्व युद्ध को थोप दिया। इस दानव को भी मार्क्स, एंगेल्स और लेनिन के मानने वाले स्टालिन के नेतृत्व में ही हराया जा सका था।

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कामरेड माओ के नेतृत्व में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने एक पिछड़े देश चीन में जवनादी क्रान्ति करते हुए समाजवाद में परिवर्तित किया था। उस दौरान पूरी दुनिया तिहाई हिस्सा श्रमिक वर्ग के नेतृत्व में समाजवाद के रास्ते पर बढ़ने लगा था। और पूंजीवादी साम्राज्यवाद अपने अस्तित्व के संकट से गुजरने लगा था। परन्तु विश्व साम्राज्यवादी व्यवस्था द्वारा षणयंत्रों, समाजवादी देशों के अन्दर पुरानी और नई आदतों, शहरी व ग्रामीण, शारीरिक व मानसिक श्रम इत्यादि अन्तरविरोधों के कारण संक्रमण कालीन समाजवादी व्यवस्था का पतन होने लगा था। इस पूरी परिघटना के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक कारणों का अध्ययन व विश्लेषण करते हुये कामरेड माओ ने मार्क्सवाद–लेनिनवाद को नई ऊँचाई प्रदान किया था। मार्क्सवाद एक वैज्ञानिक विचारधारा है जो लगातार उन्नत होती रहती है। इसीलिए वर्तमान तक सच्चा मार्क्सवाद लेनिनवाद होते हुए माओ तक के विकास को लिये रहेगा। परन्तु आज भी मार्क्स की यह उक्ति पहले जैसे ही प्रासंगिक बनी हुई है कि बहुत से विद्यानों ने दुनिया को विश्लेषित करने का प्रयास किया है परन्तु मुख्य सवाल उसे बदलने का है।

युवा मार्क्स की कविता :

असली इन्सान की तरह जियेंगे

कठिनाइयों से रीता जीवन
मेरे लिए नहीं
नहीं, मेरे तूफानी मन को यह नहीं स्वीकार
मुझे तो चाहिए एक महान ऊंचा लक्ष्य
और उसके लिए
उम्र भर संघर्षों का अटूट क्रम
ओ कला! तू खोल
मानवता की धरोहर, अपने अमूल्य कोशों के द्वार
मेरे लिए खोल
अपने प्रज्ञा और संवेगों के आलिंगन में
अखिल विश्व को बांध लूँगा मैं
आओ
हम बीहड़ और सुदूर यात्रा पर चलें
आओ, क्योंकि हमें स्वीकार नहीं
छिछला निरुदेश्य और लक्ष्यहीन जीवन
हम ऊंघते, कलम घिसते
उत्पीड़न और लाचारी में नहीं जियेंगे
हम आकांचा, आक्रोश, आवेग और
अभिमान से जियेंगे.
असली इन्सान की तरह जियेंगे.

– कार्ल मार्क्स

भूल सुधार

विरुद्ध के प्रवेशांक के पेज नं0 दो पर 'क्योंकि वह जुनैद था' नामक कविता राजेश जोशी के नाम से छपी है। जबकि वह कविता मदन कश्यप की है। हम सभी पाठकों, राजेश जोशी व मदन कश्यप से इस भूल हेतु क्षमा प्रार्थी हैं।

फिल्म समीक्षा

Mephisto' एक कलाकार जिसने अपनी आत्मा फासीवादियों को बेच दी।

जर्मन फासीवाद पर वैसे तो कई बेहतरीन फिल्में हैं, लेकिन 1981 में आयी यह फिल्म एकदम अलग तरह की है।

'हेन्डरिक' एक स्टेज कलाकार है। वह आम तौर से वाम की ओर झुका हुआ है। और उसी तरह के नाटक करता है। उसके ग्रुप में ज्यादातर कलाकार वाम की ओर झुके हुए हैं। यह वह समय है जब जर्मनी में नाजीवाद तेजी से अपने पैर पसार रहा है। फिर एक दिन अचानक से खबर आती है कि हिटलर ने सत्ता पर कब्जा कर लिया है।

परिस्थिति पूरी तरह बदल जाती है। हेन्डरिक के बहुत से दोस्त 'प्रतिरोध दस्तों' में शामिल हो जाते है और बहुत से देश छोड़ के चले जाते हैं। हेन्डरिक की पत्नी भी देश छोड़ कर फ्रान्स चली जाती है। जाने से पहले वह हेन्डरिक को भी देश छोड़ने के लिए मनाती है। लेकिन वह नहीं मानता और तर्क देता है कि ये नाजी लोकतान्त्रिक तरीके से ही तो सत्ता में आये हैं, और मेरा काम थियेटर करना है और मुझे कुछ नहीं पता। जब उसके दोस्त उसे प्रतिरोध दस्ते में शामिल होने के लिए कहते हैं तो वह कहता है कि मुझे रिजर्व में रख लो। अभी तत्काल मैं शामिल नहीं हो सकता। यहीं से उसका व्यक्तित्व बदलने लगता है। और वह अपने आपको नयी परिस्थिति में ढालने में लग जाता है और उसके अनुसार ही तर्क भी गढ़ने लगता है।

आगे बढ़ने से पहले यह जान लेते हैं कि फिल्म का नाम 'मेफिस्टो' का मतलब क्या है। जर्मन लोक कथा में 'फास्ट' और 'मेफिस्टो' को लेकर अनेक कहानियां हैं। फास्ट एक कलाकार–बुद्धिजीवी है। मेफिस्टो एक दानव है। मेफिस्टो हमेशा लोगों की आत्मा का सौदा करने के लिए घूमता रहता है। जो उसे अपनी आत्मा बेच देता है उसे वह खूब सारा धन व शोहरत देता है। एक दिन फास्ट भी मेफिस्टो को अपनी आत्मा बेच देता है और इस एवज में उसे बहुत साधन व शोहरत मिलती है।

इसी दौरान एक बार स्टेज पर 'मेफिस्टो' का रोल करते हुए वीआइपी दर्शक दीर्घा में बैठा हुआ नाजी जनरल हेन्डरिक के अभिनय से प्रभावित हो जाता है और उसे अपने पास बुलाता है। दोनो के मिलन को दर्शक सांस बांधे देख रहे हैं। यह पूरी फिल्म का बहुत ही पावरफुल दृश्य है और बेहद प्रतीकात्मक है। मानो यहीं पर फास्ट यानी हेन्डरिक अपनी आत्मा का सौदा मेफिस्टो यानी नाजी जनरल के साथ करता है। और उसके बाद शुरु होती है आत्मा विहीन खोखले हेन्डरिक की शोहरत की यात्रा और जल्द ही उसे संस्कृति का पूरा जिम्मा दे दिया जाता है।

इसी समय सांस्कृतिक मंत्रालय की तरफ से उसे फ्रांस जाना होता है वहां वह अपनी पूर्व पत्नी से मिलता है। वह आश्चर्य करती है कि वह ऐसे माहौल में बर्लिन में कैसे रह पा रहा है। वह कहता है कि मैं थियेटर में रहता हूं। तो उसकी पूर्व पत्नी बोलती है कि आखिर थियेटर बर्लिन में ही तो है। यह बहस इस सर्वकालिक बहस की ओर संकेत करती है कि कला निरपेक्ष होती है या समाज सापेक्ष। इससे पहले भी जब उसकी पत्नी उससे स्टैण्ड लेने को कहती है तो वह बोलता है कि मेरा स्टैण्ड शेक्सपियर है (उस समय वह शेक्सपियर का नाटक 'हैमलेट' करने जाने वाला था)। उसकी पत्नी गुस्से से बोलती है कि तुम शेक्सपियर के पीछे छिप नहीं सकते। नाजी लोग अपनी गन्दगी पर पर्दा डालने के लिए शेक्सपियर जैसा क्लासिक नाटक करते हैं। तुम्हें इसे समझना चाहिए। आज भारत की परिस्थिति में भी हम इसे देख सकते हैं। जब नाटककार या कलाकार आज के तीखे सवालों से आंख चुराते हुए अपनी कायरता पर पर्दा डालने के लिए पुराने 'क्लासिक' नाटक के पीछे अपने को छुपा लेते हैं।

फ्रांस में जब हेन्डरिक की अपनी पूर्व पत्नी से बहस हो रही होती है तो वही पास में बैठा उसका एक पुराना दोस्त इसे सुन रहा होता है। कुछ समय बाद वह आता है और हेन्डरिक को एक थप्पड़ जड़ देता है। यह दृश्य बहुत ही पावरफुल है। हेन्डरिक इस थप्पड़ का जरा भी विरोध नहीं करता। 'क्लोज अप' में चेहरे का भाव यह बताता है कि उसे पता है कि वह इसी लायक है।

जब उसकी दूसरी नीग्रो पार्टनर (जिसके साथ वह कभी पब्लिक में नहीं होता क्योंकि उस दौरान जर्मनी में प्रचलित नस्लीय शुद्धता के सिद्धान्त से यह मेल नहीं खाता, इसलिए वह अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके अपनी 'नीग्रो' पार्टनर को देश से निकल जाने के लिए बाध्य करता है और उस पर यह अहसान भी जताता है कि उसने उसे सम्भावित नाजी हमले से बचा लिया। अकेले में उसे उसके समझौते या यों कहे कि उसकी मक्कारी के लिए धिक्कारती है तो वह कोई प्रतिरोध नहीं करता बल्कि तुरन्त आइने में देखता है कि क्या वह सचमुच कमीना है।

नाजी जनरल की चापलूसी करते हुए वह यहां तक चला जाता है कि एक प्रोग्राम में वह कहता है–''बिना संरक्षण के कला टूटे पंखों वाली चिड़िया की तरह होती है।''

दरअसल जब–जब कैमरा हेन्डरिक का क्लोज अप लेता है तो उसके व्यक्तित्व का खोखलापन बहुत पावरफुल तरीके से सामने आ जाता है। और यही लगता है कि जब वो आरम्भ में वाम की ओर झुका था। तब भी उसे वाम से कुछ लेना देना नहीं था। बस उस समय वाम ही उसके आगे बढ़ने के लिए एक सीढ़ी की तरह था जैसे इस समय नाजी हैं।

फिल्म में एक और दृश्य बहुत ही प्रतीकात्मक और शक्तिशाली है। एक बार जब वह अपने आफिस आता है तो देखता है कि किसी ने आफिस के अन्दर नाजी–विरोधी पर्चे फेंके हुए है। वह जल्दी से जल्दी दूसरे लोगों के आने से पहले सभी पर्चे इकट्ठा करता है, बाथरुम में जाकर उन्हें जलाता है और फिर करीने से राख को इकट्ठा करके उसे अपनी जेब में रख लेता है। दरअसल ऐसे कलाकारों का यही मुख्य काम होता है–प्रतिरोध की आंच से व्यवस्था को बचाना। भारत में भी ऐसे कितने कलाकार हैं जो इस काम में जी जान से लगे हुए हैं।

फिल्म का अन्त बहुत शक्तिशाली है। नाजी जनरल हेन्डरिक को विशाल नवनिर्मित नाटक हाल में ले जाता है और कहता है कि यहां तुम्हारे प्रदर्शन पर तुम्हें बहुत शोहरत मिलेगी। उसे जबर्दस्ती हाल के बीच में जाने को कहा जाता है और उस पर चारों तरफ से लाइट डाली जाती है। इस तेज लाइट से बचने के लिए वह अपना चेहरा छुपाने का असफल प्रयास करता है और अपने से कहता है कि ये लोग मुझसे चाहते क्या हैं, आखिर मैं एक कलाकार ही तो हूं। यहीं पर 'फ्रीज फ्रेम' के साथ फिल्म समाप्त हो जाती है।

इस पूरी फिल्म को यदि हम आज के अपने देश के हालात में और उसमें कलाकारों की भूमिका के सन्दर्भ में अनुदित करें तो हमें गजब का साम्य नजर आयेगा। आपको भारत के फास्ट (हेन्डरिक जैसे कलाकार) और मेफिस्टो (फासीवादी यानी सरकारी तंत्र) के बीच की जुगलबन्दी को पहचानने में ज्यादा वर्जिश नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन यह काम मैं आप पर ही छोड़ती हूं।

वे नहीं कहेंगे कि वह समय अंधकार का था
वे पूछेंगे कि
उस समय के कवि
चुप क्यो थे?
–ब्रेख्त

इस फिल्म को 1981 में विदेशी भाषा की कैटेगरी में बेस्ट फिल्म का आस्कर अवार्ड भी मिला। इस फिल्म को हंगरी के डायरेक्टर 'Istvan Szabo' ने निर्देशित किया।,

मानवाधिकार समूहो की रिपोर्ट

उत्तर प्रदेश में मुठभेड़ के नाम पर वंचित समाजिक समुहों को निशाना बनाया जा रहा है

राज्य में तथाकथित मुठभेड़ों में मारे गये तीन लोगों के परिवार वालों ने दावा किया है कि पीड़ितों को पुलिस ने मारने के पहले उनका अपहरण करके टार्चर किया।

एक मानवाधिकार समूह द्वारा जारी रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि हाल के महीनों में उत्तर प्रदेश में वंचित समाजिक समूहों खासकर दलितों और मुसलमानों की **गैर–न्यायिक हत्या** किया गया है। यह रिपोर्ट **सिटीजंस अगेन्स्ट हेट** नामक समूह ने तैयार किया है। इस रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश के 16 और मेवात रिजन के 12 तथाकथित मुठभेड़ों का जिक्र है जो 2017 से 2018 के बीच हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशान्त भूषण ने उत्तर प्रदेश में पुलिस मुठभेड़ों पर संदेह जाहिर करते हुए उसकी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्वतंत्र टीम द्वारा जाँच कराने की माँग किया है। उन्होंने प्रेसवार्ता में कहा कि ये गैर न्यायिक हत्यायें है इनकी जाँच पुलिस के जूनियर अधिकारियों द्वारा कराया जाना निष्पक्ष नहीं हो सकता। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को ऐसे मामलों को अपने स्वतंत्र टीम द्वारा जाँच करानी चाहिए।

भूषण और सिटीजन्स अगेन्स्ट हेट के प्रतिनिधियों के साथ पीड़ितों के परिवार वालों ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एच. एल. दत्तू से 7 मई को मुलाकात किया। इन मुठभेड़ों में से तीन पीड़ितों के परिवार वालों ने आरोप लगाया की पुलिस ने उनका अपहरण के बाद टार्चर करके मार डाला या सही इलाज न कराके मार डाला। परिवार के सदस्यों के बयानों और कानूनी दस्तावेजों के अध्ययन के आधार पर इन मुठभेड़ों के द्वारा हुई हत्यायें पूर्व नियोजित और गैरन्यायिक हैं। इन हत्याओं के पीड़ित वंचित समाजिक समूहों मुस्लिम, दलित, बहुजन और कम आय वाले परिवारों से सम्बधित हैं। इस रिपोर्ट में सी.आर.पी.सी. व भारतीय दण्ड विधान आई.पी.सी. में कई संशोधनों की सिफारिश की गयी है ताकि पीड़ित परिवारों के बयानों को दर्ज करने के लिए स्पष्ट निर्देश हो। सिटिजन्स अग्रेन्स्ट हेट धर्मनिपेक्ष, जनवादी और संवेदनशीन भारत के समर्पित व्यक्तियों और समूहों के सामुहिक प्रयास से बना है। यह घृणा के अपराध और उसका जवाब देने के लिए शोध, वकालत, याचिका सहित सभी रूपों द्वारा काम करता है।

विपक्ष द्वारा फर्जी मुठभेड़ों के आरोप के बावजूद उत्तर प्रदेश की पुलिस योगी आदित्य नाथ के मुख्यमंत्रित्व काल में पिछले एक वर्ष में 1400 मुठभेड़ों में 50 खुंखार अपराधियों को मारने का दावा कर रही है। सिटीजन्स अगेन्स्ट हेट की रिर्पोट में यह दावा किया गया है कि इन मुठभेड़ों में मरने वालों के शरीर पर टार्चर के निशान पाये गयें हैं, बहुत करीब से गोली मारी गयी है और इनकी जाँच में अपराधिक जाँच की न्यूनतम प्रक्रिया जैसे फर्दमेमो की रिकाड़िग और पंचनामा इत्यादि का भी पालन नहीं किया गया है।

–(इण्डियन एक्सप्रेस 9 मई 2018 पर आधारित)।

जब तुम
पैदल चलते थे
उन्हें अच्छा लगता था
जब तुम्हारे पैरों में
छाले थे
उन्हें अच्छा लगता था
उन्हें और
अच्छा लगता था
जब तुम्हारे पैरों से
बहता था रक्त
लेकिन ये क्या
तुम घोड़े पर चढ़ गए
वो ये कैसे बर्दाश्त करते
उन्हें तो तुम्हें
मारना ही था
और तुम्हें
मरना ही था
क्योंकि
इन सबमें तुमने
एक गलती कर दी
बंदूक की जगह
घोड़ा खरीद लिया
विरोध और विद्रोह की
जगह
प्रतीक चुन लिया!
–नुपूर

एक मेला केवल संघर्षरत औरतों का

– आबिदा

कल्पना करिये एक ऐसे मेले की जहां 7000 औरतें नाच रही हों, गा रही हों, खेल रही हों, गम्भीर राजनीतिक चर्चाएं कर रही हों, अपना स्वास्थ्य बना रही हों.....जहां पुरुषों का प्रवेश वर्जित हो. एक ऐसी दुनिया जो पुरुष की आधिकारिक निगाह से बिल्कुल मुक्त हो. जी हां, ये कल्पना नहीं एक हकीकत है जो दर्ज हो चुकी है इतिहास के पन्नों में। इस वर्ष 8 मार्च से 10 मार्च तक दक्षिणी–पश्चिमी मेक्सिको के चियापास में औरतों का यह शानदार उत्सव मनाया गया। जपातिस्ता नेशनल लिबरेशन आर्मी की लड़ाकू महिलाओं ने इस वर्ष आठ मार्च का उत्सव मनाने के लिए राजनीति, कला, खेल और संस्कृति पर संघर्षरत महिलाओं का पहला अन्तरराष्ट्रीय सम्मेलन का आह्वान किया। इसमें तकरीबन 34 देशों की 7000 संघर्षरत औरतों ने हिस्सा लिया। इसमें एक ओर औरतें झूम–झूम के गा रहीं थीं **औरतें नहीं तो क्रान्ति नहीं**। वहीं दूसरी ओर विभिन्न देशों की औरतें अपनी कविताएं नाटक और कहानियां प्रस्तुत कर रहीं थीं। इन सबकी केन्द्रीय विषयवस्तु थी **कला प्रतिरोध है–प्रतिरोध कला है**। कहीं पर औरतें किसी गम्भीर विषय पर चर्चा कर रही थीं।

इसमें शिरकत कर रही 20 वर्षीया छात्रा फर्नान्डा एस्कुवेल का कहना था **पूंजीवाद स्वभावतः उपनिवेशवादी, पुरुषसत्तात्मक और नस्लीय होता है।** वह आगे कहती है कि **मैं यहां जपातिस्ता औरतों के संघर्ष को महसूस करने आई हूं जो आज भी लड़ रही हैं। वे हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं। यहां इतनी सारी औरतों का एक साथ होना ताकत देता है।**

जपातिस्ता नेशनल लिबरेशन आर्मी दक्षिणी–पश्चिमी मेक्सिको के चियापास में मूलनिवासियों का एक सशस्त्र संगठन है जो 80 के दशक से अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहा है। 1910 की राष्ट्रीय क्रान्ति के नायक एमिलियानो जपाटा के नाम पर इसका नाम जपातिस्ता पड़ा है। बड़ी संख्या में औरतें इस संघर्ष का हिस्सा रही हैं। वे इस आन्दोलन की रीढ़ रही हैं। जपातिस्ता वहां के मूलनिवासियों के अधिकारों और समाज में बराबरी की मांग के साथ संघर्ष कर रहे हैं। वे मूलनिवासी किसानों पर बढ़ते पूंजीवादी हस्तक्षेप की मुखालफत करते रहे हैं। जपातिस्ता ने मुखर रूप से नार्थ एमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का विरोध किया।

इस कार्यक्रम को पूरी तरह से जपातिस्ता नेशनल लिबरेशन आर्मी की महिला कामरेडों ने आयोजित किया था। इसकी योजना बनाने से लेकर व्यवस्था तक सभी कुछ औरतें कर रही थीं। जपातिस्ता पुरुष कामरेड इतनी औरतों के लिए खाना पका रहे थे। कमांडर जेनी कहती हैं **हम पूरी दुनिया में संघर्षरत औरतों से मिलना चाहते थे. यह एक कठिन काम था लेकिन पितृसत्ता के खिलाफ संघर्षरत इतनी सारी औरतों को एक साथ देखना सुखद है।**

कार्यक्रम में केवल राजनीतिक और शैक्षणिक चर्चाएं ही नहीं थीं बल्कि वहां पर संघर्षरत औरतों के स्वास्थ्य और शारीरिक बेहतरी के लिए व्यायाम और खेल जैसे आयोजन भी किये गए थे। विभिन्न विषयों पर कार्यशालाओं और चर्चाओं के अलावा बालीबाल और फुटबाल मैच का आयोजन भी किया गया था। कला प्रदर्शनी थी तो नाटकों और फिल्मों के शो आयोजित थे। जेण्डर हिंसा, आत्मरक्षा, मीडिया में लैंगिक भेदभाव, लैंगिक अधिकार, शिक्षा एवं स्वास्थ्य, बचपन, एलजीबीटीक्यू समुदाय के साथ होने वाले भेदभाव, पर्यावरण आदि विषयों के इर्द–गिर्द ढेर सारी प्रस्तुतियां प्रस्तुत की गईं। सभी का संचालन और प्रस्तुतीकरण औरतों ने ही किया।

आयोजन में कमांडर मरीना ने एक पुरुष आधिपत्य वाली जगह पर आरम्भिक जपातिस्ता महिला लड़ाकुओं के संघर्ष के बारे में बताया। 1994 में उनके जनता के सामने आने से पहले गुप्त जीवन के संघर्षों के बारे में भी बताया। उन्होंने बताया कि विभिन्न तरह के संघर्षों में हिस्सा लेने के बाद आज जपातिस्ता आर्मी में उनकी संख्या एक तिहाई है। कामरेड मारीना ने बताया कि **शुरू में हमारी कोई राय नहीं होती थी, हम चर्चाओं में हिस्सा नहीं लेते थे, केवल अपने सिर हिलाते रहते थे। जो हमारे पुरुष कामरेड कहते हम वही मान लेते थे। ऐसा संगठन में भी जेण्डर गैरबराबरी के कारण होता था। फिर हमने इस संघर्ष में अपनी हैसियत बनायी। आज हम ये पूरा आयोजन अपने दम पर कर रहे हैं। शुरू में हमें हमारे पुरुष कामरेडों से ही लड़ना पड़ता था। आज हमने अपने भय और संदेह परे कर दिये हैं।** कमाण्डर मरीना कहती हैं **हमने एक समझौता किया है, वह समझौता है कि हमें जिन्दा रहना है। और तब से हमारे लिए जिन्दा रहने का मतलब है लड़ना। हम लड़ने को राजी हैं। हममें से प्रत्येक अपने साधनों से, अपनी जगह पर अपने समय के हिसाब से लड़ रहा है।**

कार्यक्रम की संयोजिका इंसर्जेंटा एरिका कहती हैं **हमने तय किया कि यह कार्यक्रम केवल औरतों का हो ताकि हम पुरुषों की निगाह के बगैर बोल सकें, सुन सकें, देख सकें और उत्सव मना सकें।** एरिका कहती हैं **अगर हमें मुक्त होना है तो हमें एक औरत के रूप में अपनी आजादी लड़कर जीतनी होगी।**

जाँच रिपोट

दलित समुदाय के लोकतांत्रिक प्रदर्शन पर फासीवादी दमन

2 अप्रैल 2018 को एससीएसटी अत्याचार निरोधक एक्ट 1989 को कमजोर करने को लेकर देश व्यापी बंद के दौरान होने वाली हिंसा और उसके बाद पुलिस की कारवाई पर कई तरह के सवाल हैं। क्या प्रदर्शनकारी वास्तव में हिंसक हो गए थे?क्या हिंसा के पीछे कुछ अदृश्य हाथ काम कर रहे थे? क्या पुलिस की कार्यवाही संतुलित थी या राजनीतिक दबाव के चलते आवश्यकता से अधिक बल प्रयोग किया गया? क्या जातीय भेदभाव के चलते मुकदमें गढ़े गए और कानून का दुरूपयोग किया गया? ऐसे ही सवालों का जवाब ढूंढने के लिए एक प्रतिनिधि मंडल ने 13 अप्रैल को आजमगढ़ की सगड़ी तहसील के कई प्रभावित गांवों का दौरा किया जिसमें भदांव, सराय सागर, मालटारी, अजमतगढ़ नगर पालिका, महादेव नगर झारखंडी, फैजुल्ला जहीरुल्ला, जमीन सिकरौला आदि शामिल हैं। आन्दोलन को बदनाम करने के लिए सब कुछ सुनियोजित ढंग से किया गया था। दरोगा जितेन्द्र राय की जाति के लोग दलित व अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र–नौजवानों को पकड़वा रहे थे। संसाधन विहीन और सम्पत्ति विहीन शान्ति भंग की आशंका के दलित आरोपियों से पांच पांच लाख रूपये की जमानत मांगने का उनकी रिहाई के लिए रोड़ा अटकाने के अलावा क्या औचित्य हो सकता है? परिजनों ने यह भी बताया कि उन से स्पष्ट कहा गया कि एसडीएम के हस्ताक्षर 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती के बाद ही किए जाएंगे।

स्थानीय लोगों ने बताया कि सगड़ी तहसील के पास रोडवेज की बस को पुलिस वालों ने रोका, यात्रियों को बाहर निकाला, तीन चार पुलिस वाले बस के अंदर गए और देखते ही देखते बस से आग की लपटें उठने लगीं जबकि प्रदर्शनकारी बस के पास मौजूद नहीं थे। इसी दौरान पुलिस पर पत्थर फेके गए जो निश्चित रूप से प्रदर्शनकारियों की तरफ से नहीं आए थे। आसपास के लोगों ने बताया कि पत्थर फेकने वाले विश्व हिंदू परिषद के लड़के थे जिनमें अगली पंक्ति वालों ने अपने चेहरे ढंक रखे थे। अजमतगढ़ कस्बे से लगे हुए गांव महादेवनगर झारखंडी के चंद्रशेखर को भी धारा 151 के तहत निरुद्ध किया गया है और उनकी रिहाई में भी वही बाधाएं हैं जिनका उल्लेख पहले किया जा चुका है। झारखंडी के लोगों ने बताया कि 2 अप्रैल की शाम को कई वाहनों में सवार पुलिस वाले अचानक गांव में आए। पहुंचते ही जो भी मिला उसे पीटना शुरू कर दिया नवजवान खेतों की तरफ भागे। पुलिस ने उनमें से कई का पीछा कर के गिरफ्तार कर लिया। गांव की महिलाओं ने बताया कि पुलिस की कार्यवाही बहुत अचानक और अंधाधुंध थी। जो भी सामने आया उस पर डंडे बरसाए और बुरी बुरी गालियां दीं। कई बच्चियां और बूढ़ी महिलाओं को चोटें आयीं। पूरे गांव में भय का माहौल बन गया। घरों से भाग भाग कर लोगों ने खेतों में पनाह ली।

जांच टीम में रिहाई मंच के मसीहुद्दीन संजरी, सालिम दाऊदी, जनमुक्ति मोर्चा के राजेश, अखिल भारतीय प्रगतिशील छात्र मंच के तेज बहादुर, राहुल, लोक जनवादी मंच के दुखहरन राम, नवयुवक अम्बेडकर दल के राजकुमार, रविंद्र, जीतेन्द्र, छात्र नेता हिमांशु कुमार और किसान संग्राम समिति के सूबेदार व रामाश्रय शामिल थे।

मुस्लिम समुदाय पर मनुवादी हिन्दू गिरोह व पुलिस का दमन

आजमगढ़ के कस्बा सरायमीर में 28 अप्रैल 2018 को होने वाली साम्प्रदायिक घटना में दर्जनों लोगों को पुलिस लाठीचार्ज में गम्भीर चोटें आयीं। उसके बाद पुलिस द्वारा 35 मुस्लिमों को नामजद करते हुए और 12 अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। घटना से सम्बंधित समाचार माध्यमों में आने वाली खबरों और सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियोज में विरोधाभास को देखते हुए मानवाधिकार और सामाजिक संगठनों के एक प्रतिनिधिमंडल ने 4 मई को कस्बा सरायमीर का दौरा कर तथ्यों को जानने का प्रयास किया। इस जांच दल में मुख्य रूप से जनमुक्ति मोर्चा के राजेश, अखिल भारतीय प्रगतिशील छात्र मोर्चा के तेज बहादुर और रिहाई मंच के विनोद यादव शामिल थे। प्रतिनिधि मंडल ने अपनी पड़ताल में स्थानीय लोगों से बातचीत की और घटना से सम्बंधित कई वीडियो का अवलोकन किया और पाया कि–कस्बा सरायमीर निवासी अमित साहू नामक एक युवक द्वारा 27 अप्रैल 2018 को फेसबुक पर एक आपत्तिजनक पोस्ट लगाने का मामला सामने आने पर मुस्लिम समुदाय में आक्रोश फैल गया। उसी दिन दोपहर में पूर्व चेअरमैन सरायमीर उबैदुर्रहमान के नेतृत्व में एफआईआर दर्ज करवाई गई। काफी ना नुकुर के बाद थानाध्यक्ष राम नरेश यादव द्वारा सामान्य धाराओं में एफआईआर दर्ज करने को लेकर असंतुष्ट कुछ लोगों ने इस घटना में मुख्य आरोपी बनाए गए कलीम जामई के नेतृत्व में अमित साहू पर रासुका लगाने की मांग करने लगे जिसे थानाध्यक्ष ने अस्वीकार कर दिया। अपनी मांग के समर्थन में एमआईएम नेताओं ने अगले दिन 28 अप्रैल को सोशल मीडिया के माध्यम से सरायमीर बंद का एलान कर दिया। 28 अप्रैल को सुबह 8 बजे से ही मुस्लिम युवक सरायमीर में मुख्य मार्ग पर इकट्ठा होने लगे। करीब दस बजे तक काफी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए लेकिन किसी प्रशासनिक अधिकारी ने इसका संज्ञान नहीं लिया। उसके बाद भीड़ थाना रोड पर पहुंच गई और करीब डेढ़ घंटे तक वहां मौजूद रही लेकिन थानाध्यक्ष सरायमीर ने कोई नोटिस नहीं लिया। इस बीच कुछ लोग बातचीत करने के लिए थाने में गए जहां एसडीएम, सीओ फूलपुर और थानाध्यक्ष मौजूद थे। बातचीत के नतीजे में अधिकारियों ने अमित साहू पर रासुका लगाने की मांग स्वीकार कर ली और बातचीत करने वालों में से कुछ लोगों से आग्रह किया कि वह भीड़ को और पीछे की तरफ ले जाएं। इस दौरान बाहर कलीम जामई भीड़ से धैर्य बनाए रखने की अपील करते रहे जिसे एक वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है। जिस समय वार्ताकारों में से कुछ लोग भीड़ को बता रहे थे कि अधिकारियों द्वारा उनकी मांग मान ली गई है उसी दौरान कुछ लोगों ने पथराव शुरू कर दिया जिसके बारे में बताया जाता है कि वह प्रदर्शनकारी नहीं थे बल्कि साजिश के तहत कुछ अज्ञात लोगों से पत्थरबाजी करवाई गई थी। पथराव की घटना के तुरंत बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े जिसके कारण भगदड़ मच गई। पुलिस ने उन वार्ताकारों पर भी लाठी बरसाना शुरू कर दिया जो अभी थाना परिसर में ही मौजूद थे। इस समय तक गाड़ियों और दुकानों में तोड़फोड़ की घटना नहीं हुई थी।

जांच कमेटी की रिपोर्ट

मुठभेड़ के पर्दे में नरसंहारः गढ़चिरौली में विकास हेतु राज्य की नई नीति

महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले की मामरागढ़ तहसील में बोरिया–कासनासुर में 22 अप्रैल 2018 की सुबह एक तथाकथित मुठभेड़ हुई। अगले दिन पुलिस ने प्रेस नोट के साथ 16 लोगों की सूची यह कहते हुए जारी की कि नक्सली मारे गए हैं। 24 अप्रैल को पुलिस ने दावा किया कि इंद्रावती नदी में 14 और लाशें मिली हैं। और इस तरह मरने वालों की संख्या 40 से अधिक हो गई। गढ़चिरोली जिले में इस तथाकथित मुठभेड़ के स्थानों पर 12 राज्यों के 44 लोगों की एक जांच कमेटी टीम पहुंची। जिसमें तीन प्रमुख मानवाधिकार संगठनों और मंचों के लोग थे। यह तीन संगठनः कोआर्डिनेशन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स आर्गेनाईजेशन (CDRO), इंडियन एसोसिएशन ऑफ पीपल्स लेयर्स (IAPL), और वूमेन अगेंस्ट स्टेट रिप्रेशन एंड सेक्सुअल वायलेंस (WSS) थे। हमने हाल ही में हुए सभी पुलिस हिंसा तथा मुठभेड़ों के स्थानों का भी दौरा किया। 5 से 7 मई 2018 तक 3 दिनों तक तथ्यों की जांच की गई और इस टीम की सहायता भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई) के स्थानीय प्रतिनिधियों, स्थानीय निर्वाचित प्रतिनिधियों, ग्राम सभा सदस्यों, वकीलों और पत्रकारों ने की। जांच में हमारा निष्कर्ष यह निकला कि जिन घटनाओं के लिए मुठभेड़ शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है दरअसल वह सारा फर्जी मुठभेड़ है।

घटना की जांच से जो तथ्य सामने आया कि C–60 पुलिस तथा CRPF ने चारों तरफ से माओवादियों को घेर लिया और फिर उनकी हत्या करने के इरादे से आधुनिक हथियारों जैसे अंडर बैरल ग्रेनेड लांचर (यूबीजीएल) से अंधाधुंध फायरिंग की। इस तरह यह एक सोचा समझा जनसंहार है। तथाकथित मुठभेड़ से संबंधित पुलिस की कहानी पर जांच टीम ने सवाल उठाए। मरने वालों की अंतिम संख्या पर ध्यान दिया जाए तो पता चलता है कि सी–60 पुलिस ने फौरन ही लाशें बरामद नहीं की। मुठभेड़ के बाद कई दिनों तक इससे संबंधित महत्वपूर्ण सबूत जैसे पत्र, फोटोग्राफ, पहचान पत्र पड़े रहे। 22 अप्रैल 2018 को पुलिस द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के दौरान असली स्थानों का कोई फोटोग्राफ या लाशों का कोई फोटो जारी नहीं किया गया। केवल चुने हुए पत्रकारों को मुठभेड़ स्थान की जानकारी दी गई। और उनकी यह बात भी संदेह पैदा करती है कि इस तथाकथित मुठभेड़ के 2 दिन बाद 24 अप्रैल को उसी जगह से 15 लाशें बरामद होती हैं। यह संदेह इसलिए है क्योंकि घायल लोग मजबूरन पूरे इलाके में फैल जाते हैं। गौर करने लायक दिलचस्प बात यह है कि पूरी कार्यवाही में ही सी–60 टीम को कोई गंभीर चोट नहीं आई।

टीम को विदेशी पर्यटक बताया गया और लोगों से संपर्क साधना मुश्किल किया गया। जब हम बोरिया पहुंचे तो वहां गांव में बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की मौजूदगी थी। ऐसा लगा कि जांच टीम से लोगों की बात रोकने के लिए पुलिस फोर्स तैनात की गई है। जांच टीम के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए पुलिस द्वारा लोगों को अहेरी से कसनासूर लाया गया था। जांच टीम रात में गट्टेपल्ली गई और वहां उसने असामान्य रूप से सुरक्षा बलों की मौजूदगी देखी। पिछले 3 दिनों से बिजली नहीं आने की वजह से गांव में पूरा अंधेरा था। गांव वालों ने हमें बताया कि उसी दिन से पुलिस बल यहां तैनात है और उनके सामने बात करने से लोगों को डर लगता है। जांच टीम के इर्द–गिर्द भी पुलिस बल मंडराता रहा जिससे बातचीत में कई मुश्किल पैदा हुई। घटना से जुड़ा हुआ गट्टेपल्ली ऐसा गांव है जहां 22 अप्रैल से 8 लोगों के गायब होने की रिपोर्ट है। वह शादी में शामिल होने गांव से बाहर गए थे। उनमें से केवल एक अवयस्क रासु चाको माडवी की पहचान हो पाई। गांव वालों ने उसकी लाश की पहचान उन लाशों में से की जिनके मारे जाने का दावा बोरिया–कासनासूर मुठभेड़ स्थल पर पुलिस ने किया था। बाद के दिनों में पुलिस के विवरण लगातार बदलते गए। गुमशुदा लोगों के परिवार वाले जब पुलिस के पास पहुंचे तब पुलिस ने यह स्थापित करने की कोशिश की कि वे माओवादी पार्टी के नए–नए भर्ती रंगरूट थे।

जब सवाल उठे कि उनके शव यूनिफॉर्म में क्यों थे तो पुलिस का विवरण बदल गया कि कैसे एक महीने पहले उनकी भर्ती हुई थी। यह भी उचित नहीं लगता कि गुमशुदा लोगों के आधार कार्ड जब्त कर लिए गए हैं और आज की तारीख तक लौटाए नहीं गए। राजाराम खंडाला में 24 अप्रैल की रात की घटना में पुलिस के बयान परस्पर विरोधी हैं। 24 अप्रैल को जिमलगट्टा पुलिस स्टेशन से उनके बयानों के अनुसार घटना राजाराम खंडाला में घटी। 25 तारीख को नंदू का शव उसके परिवार को सौंपते हुए एसपी ने एक पत्र जारी किया जिसमें यह कहा गया कि वह कोपेवंचा कोउटारम जंगल में मारा गया। मारे गए लोगों में चार महिलाएं थी। जांच टीम ने राजाराम खण्डला में मुठभेड़ स्थल का दौरा किया और नंदू के परिवार वालों से मुलाकात भी की। 23 तारीख की सुबह नंदू के परिवार और गांव वालों को स्थानीय पुलिस ने खबर दी कि अन्य लोगों के साथ नंदू को भी पिछली रात बोरिया–कासनासुर से उठा लिया गया है। परिवार ने पकड़े गए लोगों की तलाश में पुलिस स्टेशनों और शिविरों का चक्कर लगाया लेकिन उन्हें खोज नहीं सका। अगले दिन उन्हें सूचना दी गई कि नंदू तथा अन्य लोग 23 तारीख की शाम को नयनार जंगल में मुठभेड़ में मारे गए।

जांच टीम ने नैनार जंगल में मुठभेड़ स्थल की पहचान की। वहां जमीन पर खून के धब्बे, रबड़ के दस्तानों का एक खुला पैकेट, पेड़ के तनों पर गोलियों के निशान और दो खाली डिब्बे थे। ऐसा लगा कि पुलिस ने नंदू को पहले यातना दी और फिर जानबूझकर मार डाला। अन्य कुछ तथ्यों के साथ हमारी टीम ने ध्यान दिया कि परिवार को कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं दी गई। 25 अप्रैल को जब पिता ने शव हासिल किया तो वह खराब होता जा रहा था। लेकिन तब भी उसके दाहिने कंधे पर कुल्हाड़ी से किए वार पता चल रहा था। उसके शरीर पर गोली का निशान नहीं था। आस पड़ोस के लोगों ने आमतौर पर मुठभेड़ों के दौरान बंदूक चलने की आवाज नहीं सुनी लेकिन अलग थलग कुछ गन शॉट की आवाज उस रात सुनाई दी थी। परिवार को आशंका है कि सभी छह लोगों को पुलिस हिरासत में यातनाएं दी गई और फिर मार डाला गया। टीम को आश्चर्य हुआ कि नंदू तथा अन्य लोगों को उठा लेने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर क्यों नहीं अदालत में पेश किया गया और जब सारे सबूत और गवाहों से यह पता चल रहा है कि उन्हें हिरासत में लेकर यातना दी गई है और फिर मार डाला गया है। तो कैसे पुलिस इसे मुठभेड़ में हुई मौत का दावा कर रही है।

हमने ध्यान दिया कि कोरापल्ली गांव में परिवार तथा पड़ोसियों को सुरक्षाबलों तथा स्थानीय पुलिस द्वारा लगातार परेशान किया जाता रहा है और धमकाया गया है। ये हत्याएं कोई अलग–थलग घटनाएं नहीं लगती बल्कि इस क्षेत्र में पुलिस की बूरी करतूतों की व्यापक परंपरा का हिस्सा लगती हैं। ऐसा लगता है कि बड़ी संख्या में पुलिस शिविरों तथा सुरक्षा बलों द्वारा इस क्षेत्र में रहने वालों के मन में डर का वातावरण तैयार किया जा रहा है। उदाहरण के लिए 5 फरवरी को कोयनवरसा गांव के दो नवयुवक रामकुमार और प्रेमलाल चिड़ियों के शिकार पर गए थे। उन्हें सुरक्षाबलों ने उठा लिया। उन्हें अलग–अलग ले जाकर पूछताछ की गई और लगातार उन पर यह दबाव डाला जाता रहा कि वह खुद को माओवादी मान लें। जब उन्होंने इस आरोप से इनकार कर दिया तो उन्हें जबरदस्ती पकड़े रखा गया। उनमें से एक प्रेम लाल सौभाग्य से बच निकलने में कामयाब हो गया और जांच टीम को उसने सारी बातें बताई। 6 फरवरी को गांव वाले उस जगह गए जहां से इन आदमियों को उठाया गया था। वहां उन्हें खून के धब्बे रामकुमार की वोटर पहचान पत्र का जला हुआ टुकड़ा और उन लोगों के द्वारा शिकार की गई चिड़िया के अवशेष मिले। इससे उन्हें रामकुमार के मार दिए जाने का संदेह हुआ। जब वह गढ़चिरोली पुलिस स्टेशन पहुंचे तो उन्हें वहां रामकुमार की लाश मिली। कोयनवरसा गांव के लोगों ने दावा किया कि उनके गांव में ऐसा पहली बार हुआ है और पुलिस का उन पर दबाव था कि कोई आरोप ना लगाएं। गांव वालों को चुप रहने के लिए पुलिस वालों ने घूस देने का प्रस्ताव रखा। परिवार हेदरी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराने गया तो वहां एक पत्र पर उनके अंगूठे का निशान लगवा लिया गया। जिसमें यह लिखा था कि वे लोग माओवादियों से जुड़े थे।

एक मजिस्ट्रेट स्तर की जांच हो रही है लेकिन ऐसा नहीं लगता कि अब कुछ हो पाएगा। 2016 में सूरजगढ़ क्षेत्र में लायड माइनिंग कारपोरेशन ने अपना बेस तैयार किया था। जिस दिन से लॉयड को पट्टे पर जमीन दी गयी थी। उसी दिन से इस क्षेत्र में लोगों ने खदान का विरोध शुरू कर दिया था। घमकुंडवानी और सूरजगढ़ खदानों के पास के गांवों के लोगों के ऊपर लगातार पुलिस की हिंसक कार्यवाही चलती गई और उन्हें परेशान करने पीटने और गिरफ्तारी का काम होता रहा। मोहुन्दी और गुडनसुर में इसे साफ तौर पर देखा जा सकता है। जहां गट्टा पुलिस द्वारा पहले 2 और फिर 5 लोगों को गांव से उठा लिया गया। जब गांव वालों ने इसका विरोध किया उन्हें पुलिस ने बेरहमी से इस हद तक पीटा कि अब तक उनके बदन पर पुलिस हिंसा के निशान मौजूद हैं। हिरासत में लिए गए लोगों में से एक की मां का हाथ तोड़ दिया गया। जिससे अभी हाथ से काम करने में तकलीफ होती है। जिन 8 लोगों को उठाया गया उनमें सात न्यायिक हिरासत में है। जिनमें दो किशोरावस्था के हैं और एक के बारे में कोई खबर नहीं है। पुलिस का कहना है कि गुमशुदा दिनेश फरार है लेकिन परिवार वालों को डर है कि पुलिस ने शायद उसे मार ही डाला हो। 29 मार्च 2018 को रेकनर गांव के एक युवक संसु मिर्चा उसेंडी ने जानवरों को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। 30 मार्च को वह जाल का हाल लेने पहुंचा तो उस पर CRPF ने पीछे से हमला बोल दिया। उसे सुरक्षा बल द्वारा पीटा गया, घसीटा गया और फिर मार डाला गया। 1 अप्रैल को उसके परिवार वालों ने उसकी तलाश शुरू की और पुलिस स्टेशन गए। उसके मारे जाने की खबर उन्हें नहीं दी गई। 3 अप्रैल को उसकी तलाश में यह लोग पुलिस स्टेशन के आस पास जमा हुए तो पुलिस ने कथित मुठभेड़ में मारे जाने की बात उनसे कही। 6 अप्रैल को SP ऑफिस के सामने परिवार और गांव वालों ने इस हत्या के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया।

इस क्षेत्र में धमकुंडवानी और सूरजगढ़ माइनिंग प्रोजेक्ट बढ़ती पुलिस हिंसा के केंद्र बनते हुए प्रतीत हो रहे हैं। 2006–07 जहां खदान प्रस्तावित हुई थी वह स्थानीय समुदाय के विरोध के चलते रोक दी गई थी। अब एक बार फिर से पुलिस और अर्धसैनिक बलों के शिविरों की संख्या बढ़ाई गई है और आस–पास के गांव के लोगों को परेशान किया जा रहा है। पिछले कटु अनुभव के कारण महिलाएं पुलिस हिंसा के डर से जंगल में जाने से डरती हैं क्योंकि पहले उन्हें परेशान किया गया था और सुरक्षा बलों द्वारा रातों–रात उठा लिया गया था। पुलिस द्वारा उठा लिए जाने के डर से पुरुष बाजार जाना बंद कर चुके हैं। कारपोरेशन तथा पुलिस के दबाव के चलते तेंदूपत्ता और बांस खरीदने वाले ठेकेदारों ने यहां आना बंद कर दिया है। गांव वालों की गिरफ्तारी तथा हत्याएं और इन मामलों पर न्यायिक प्रतिक्रिया और कार्यवाही के अभाव लोगों के अंदर डर और गुस्से का भाव पैदा कर रहा है।

महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और झारखंड के आदिवासियों के लिए धमकुंडवानी पहाड़ी एक पवित्र स्थान है और खनन से उनके सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन पर हिंसक प्रभाव पड़ेगा। गढ़चिरोली जिले की स्थिति को समझने के लिए जांच टीम ने 3 दिनों में कई गांव वालों और सैकड़ों लोगों से मुलाकात की। हमारे सामने यह बात बिल्कुल साफ है कि इस सरकार द्वारा विकास का जो मापदंड निर्धारित किया गया है उसमें लोगों के हितों को नजरअंदाज कर दिया गया है। अपनी जमीनों पर हिंसक तरीके से अधिग्रहण और उनके जीविका के साधनों को छीनते देखकर लोग दृढ़ता से खड़े हो गए हैं और फलस्वरुप बर्बर राजकीय दमन का सामना कर रहे हैं जिसमें लोगों को जान से हाथ धोना पड़ रहा है। जांच टीम सरकार द्वारा मुठभेड़ में की जाने वाली हत्याओं की नीति की भर्त्सना करती है और मांग करती है कि :

–शेष पेज नं0–8 पर

जब तक दलित सभी जातियों की उत्पीड़ित जनता के साथ एकता नहीं बनाते है तब तक दलित राजनीति का भविष्य नहीं है।

अनुवादक– मन्सूर

नागरिक अधिकार कार्यकर्ता आनन्द तेलतुंबड़े ने दलित मुद्दों पर व्यापक रूप से कार्य किया है। वर्तमान में वे गोवा इंस्टीच्यूट ऑफ मैनेजमेण्ट में बिग डेटा एनालीसिस विषय पढ़ाते हैं। सुगंधा इंदुलकर के साथ बातचीत में उन्होंने एस.सी./एस.टी. ऐक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से उत्पन्न प्रभावों का विश्लेशण किया है:

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो लोग आन्दोलन कर रहे हैं उन्होंने फैसले को ठीक से पढ़ा नहीं है और निहित स्वार्थो के वशीभूत वे गुमराह किये गये हैं। आपके क्या विचार हैं?

यह पूरी तरह भ्रामक है। सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय एक उच्च अधिकारी की सामान्य सी अपील के जवाब में आया था। जिसे बाम्बे हाई कोर्ट द्वारा अग्रिम जमानत दे दी गई थी। परन्तु व मुकदमें को खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट अपील किया था। यदि इसमें सुप्रीम कोर्ट को मेरिट मिला होता तो उसने मुकदमे को रद्द कर दिया होता। परन्तु यहाँ दलितों द्वारा उत्पीड़न के कानून के सामान्य दुरूपयोग का प्रश्न ही कहां था और अपराधियों का मजबूती से पक्ष लेने का मामला कहां था? यह पूरी तरह अनुचित था।

इसमें धारा 14 व 15 का जिक्र किया गया, लेकिन कमजोर तबकों के हित में बनाये गये सभी विधान इन धाराओं के संवैधानिक अपवाद हैं। संविधान का ऐसा नीरस वाचन चकित करने वाला है। इस पर दलितों की प्रतिक्रिया किसी 'निहित स्वार्थ' से संचालित नहीं है और न ही गलत समझने की वजह से है बल्कि पूरी तरह न्यायोचित है।

किन बातों ने दलितों के रोष को बढ़ाया?

2 अप्रैल के अखिल भारतीय हड़ताल में दलितों का जो आक्रोश दिखा वह एकत्रित आक्रोश है। यह वर्तमान सरकार के पिछले चार वर्षों के दौरान किये गये कार्यों का परिणाम है। अपने नेताओं से गुमराह होकर दलित वर्ग ने पिछले चुनावों में बड़ी संख्या में भाजपा नेताओं के पक्ष में वोट दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने सोचा कि अम्बेडकर के प्रति अपनी भक्ति दिखाकर वे दलितों को मूर्ख बना सकते हैं। हाँ दलितों को यह समझने में कुछ समय लग गया कि वास्तव में हो क्या रहा है।

आई आई टी मद्रास की अंबेडकर पेरियार स्टडी सर्किल पर प्रतिबन्ध, रोहित वेमुला प्रकरण, दलितों के लिए बजट प्रावधानों में निरन्तर कटौतियाँ वह चाहे छात्रवृत्ति हो या कम्पोनेंट योजना, विश्वविद्यालयों में आरक्षण पर लगाम, गोमाता वाली चाल जिसने गरीब दलितों की पोषण संबन्धी सुरक्षा को खतरे में डाल दिया और उन्हें गोरक्षक गुण्डों का शिकार होना पड़ा, और तेजी से बढ़ती हुई उत्पीड़न की घटनायें जो 2013 के 39,000 से बढ़कर 2014 में 47,000 हो गईं। मंत्रियों का अभद्र भाषायुक्त संबोधन और भीम आर्मी के चन्द्रशेखर आजाद जैसे युवा नेताओं के साथ होने वाला निरन्तर अन्याय छुपा नहीं रह सकता।

रोष का मतलब हिंसा नहीं होता है। दलित बिना उकसावे के हिंसा का आश्रय नहीं लेता है। यह तथ्य कि हिंसा सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों में हुई, किसी भयानक साजिश की तरफ इशारा करता है। उन्हें हिंसा में लिप्त होने के लिए उकसाओ और फिर गोली मार दो ताकि वे फिर कभी दुबारा ऐसा करने की हिम्मत न कर सकें। 10 लोगों की जानें गई हैं लेकिन सिर्फ दलितों की हिंसा का प्रचार किया जा रहा है।

वर्तमान दलित राजनीति किस दिशा में जा रही है?

स्वतंत्र दलित राजनीति को तो प्रारंभ में ही कुचल दिया गया। दलित राजनीति आम दलितों के मुद्दों से अलग–थलग बनी रही। लेकिन अब युवा दलित आगे आ रहे हैं, जिन्हें पूर्व की कमियों का अहसास है। वे लोग अपने विचारों को विश्वास के साथ प्रकट कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जातीय राजनीति और आरक्षण उन्हें आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। वे उन्हें और भी विभाजित कर रहे हैं। जब तक दलित लोग 'जाति' नामक विषाक्त शब्द का प्रयोग किये बिना उत्पीड़ितों के साथ एका कायम नहीं करेंगे तब तक दलित राजनीति के लिए कोई भविष्य नहीं है।

क्या आप इस बात से सहमत हैं कि ठीक ठाक पढ़ाई किये हुए दलित शेष दलितों से अलग– थलग हैं?

ऐसा तो होना ही था। पिछले सात दशकों में, आरक्षण और अन्य वजहों से, दलितों में एक वर्ग उभरकर सामने आया है जिसका नाल आम दलित से बहुत पहले ही टूट चुका है। उनका व्यवहार त्रिशंकु की तरह है, जातिगत बाधा के कारण अपने वर्ग में पूरी तरह समाहित होने योग्य नहीं हैं और आम मेहनतकश दलितों के साथ पूरी तरह अपनी पहचान भी कायम करने योग्य नहीं हैं।

दलित आन्दोलन की शुरूआत में ही इसके बीज मौजूद थे। बाबा साहब अम्बेडकर को अपने जीवन के अन्तिम दिनों में अहसास हुआ कि उन्होंने जो कुछ भी किया उससे शिक्षित और शहरी दलितों के एक छोटे से वर्ग को फायदा हुआ और वे बहुसंख्य ग्रामीण दलितों के लिए कुछ नहीं कर सके। उन्होंने इस बात को अपने अनुयायियों से बताया और उनसे भूमि आन्दोलन करने के लिए कहा। उनकी प्रेरणा का नतीजा था कि तीन शानदार भूमि आन्दोलन हुए, पहला 1953 में ही और उसके बाद 1959 और 1964–65 में।

भारतीय राजनीति के व्यापक परिप्रेक्ष्य में आप दलित राजनीति को कैसे रखेंगे?

यह दलित मुद्दों पर दलाली के माध्यम से मुख्य धारा के राजनेताओं से भाड़े की तलाश मात्र है। दलित नेता अम्बेडकर की स्तुति–गान करते रहते हैं और दलित जनता को उपेक्षित बनाये रखते हैं।

क्या भारतीय जनता पार्टी दलित विरोधी है?

भाजपा निश्चित ही दलित विरोधी है। उनकी विचारधारा भारतीय प्राच्य का गुणगान करती है जो इसे स्पष्ट रूप से दलित विरोधी बनाती है। हालांकि अपनी राजनीतिक आवश्यकताओं के चलते यह अपने दलित विरोधी स्वरूप का खुला प्रदर्शन नहीं करती है लेकिन इसके क्रिया कलापों ने यह भली–भाँति सिद्ध किया है।

समस्या के समाधान के लिए क्या करना होगा?

आम आदमी को सम्मान जनक जीवन के लिए क्या जरूरी होता है? उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा, आजीविका की सुरक्षा और भाईचारे के सामाजिक माहौल की आवश्कता होती है। राजनेता जाति, धर्म आदि के नाम पर लोगों को एक दूसरे से भिड़ाते रहे हैं ताकि वे अपने वर्ग–जाति का शासन बनाये रख सकें। अतः, यदि भारत के भविष्य को बनाना है तो इस तरह की राजनीति रूकनी चाहिए। **(टाइम्स ऑफ इण्डिया 9 अप्रैल 2018 से साभार)**

पेज नं0–4 का शेष

लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोलों से बचने के लिए भागती हुई भीड़ में से कुछ लोगों ने एक दो दुकानों की तरफ पत्थर फेंके जिसमें एक मॉल भी शामिल है। भीड़ का पीछा करते हुए पुलिस टैक्सी स्टैंड की तरफ गई जहां आसपास के दुकानदार गैस शेल की आवाज सुनकर फैजान कटरा में चले गए और अंदर से चौनेल बंद कर लिया। कटरे के अंदर दुकानें खुल हुई थीं। जब पुलिस की नजर उस तरफ पड़ी तो उसने चौनल का ताला तोड़ कर बारह लोगों को गिरफ्तार कर लिया जिसमें 9 दुकानदार, मकान मालिक के दो भांजे और एक ग्राहक था। एक तरफ से सबकी पिटाई की गई। उन्हीं में एक अहमद नाम के युवक को पुलिस ने बुरी तरह पीटा जिससे उसका पैर टूट गया और ऊपरी भाग बुरी तरह फट गया। उक्त युवक का पुलिस ने इलाज करवाए बिना जेल भेज दिया और इलाज के लिए न्यायालय से निर्देशित किए जाने के बाद भी सुरक्षा के बहाने से उसे 4 अप्रैल तक इलाज से वंचित रखा गया। गिरफ्तार किए गए दुकानदारों व अन्य के पास मौजूद नगदी भी पुलिस ने हड़प कर ली और मोबाइल फोन की बरामदगी नहीं दिखाई गई।

जिस समय थाने के सामने प्रदर्शनकारी मौजूद थे उसी दौरान हिंदुत्वादी तत्व सैकड़ों की संख्या में लाठी, डंडा और त्रिशूल आदि से लैस हो कर इकट्ठा हो रहे थे। जब वह लोग पूरी तरह से तैयार हो गए तभी लाठीचार्ज शुरू किया गया और आंसू गैस के गोले छोड़े गए जिसको तर्कसंगत साबित करने के लिए पत्थरबाजी की घटना प्रायोजित की गई थी। प्रत्यक्षदिर्शियों ने बताया कि लाठीचार्ज के तुरंत बाद पुलिस के जवानों के साथ हिंदुत्वादी भीड़ मुख्य मार्ग पर आ गई और पुलिस के साथ रोड पर खडे दो पहिया और चार पहिया वाहनों को तोड़ना शुरू कर दिया। स्थानीय लोगों ने बताया कि इन घटनाओं में हिंदू समाज के पिछड़े और दलित वर्ग की कोई भागीदारी नहीं थी। पुलिस ने ढाबे पर लगे सीसी कैमरे तोड़ दिए और सबूत मिटाने के लिए मशीन अपने साथ ले गई।

क्षेत्र में भय का वातावरण बना हुआ है। एक तरफ हिंदू समाज पार्टी के बैनर से लगातार सरायमीर में गुप्त मीटिंगे होती रही। दूसरी तरफ एफआईआर में दर्ज अज्ञात लोगों की निशानदेही के नाम पर पुलिस खौफ का माहौल बना रही है और धन उगाही कर रही है। इसके अलावा स्थानीय लोगों ने अमित साहू के बारे में बताया कि वह एक सामान्य, कम पढ़ा लिखा नौजवान है जो इस तरह की पोस्ट खुद नहीं लिख सकता। जिससे इस बात को बल मिलता है कि साजिश के तहत यह पोस्ट उससे करवाई गई है। इस मामले में भी हिंदू समाज पार्टी की भूमिका हो सकती है।

जांच दल इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि पूरे मामले में थानाध्यक्ष सरायमीर राम नरेश यादव की भूमिका संदिग्ध रही है। अमित साहू के विरूद्ध रासुका लगाने की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच टकराव में साम्प्रदायिक तत्वों अचानक आना, तोड़फोड़ की घटनाओं को अंजाम देना और उनके खिलाफ पुलिस द्वारा एफआईआर न दर्ज करना किसी साजिश का नतीजा है जिसकी निष्पक्ष जांच की जाए। इसके अलावा जिन दुकानदारों और राहगीरों को पुलिस कारवाई के नाम पर गिरफ्तार किया गया है उसकी निष्पक्ष विवेचना की जाए और निर्दोषों पर से मुकदमा हटाया जाए। कुछ मुस्लिमों के ऊपर रासुका भी लगा दिया गया है।

धर्म

धर्मराज युधिष्ठिर!
तुम उन परजीवियों के पक्ष में थे
जिन्होंने श्रम और श्रमिकों से घृणा की
तुमने द्रौपदी के साथ अन्याय किया।
तुम्हारे खिलाफ होने का मतलब
दुर्योधन के साथ होना नही है
हम तो उनके साथ है
जिन्हें तुम्हारी कहानियों में
जगह ही न मिल सकी
जब उनका जिक्र किया
तो उन्हें नीच, शुद्र और अछूत कहा,
क्योंकि तुम डरते थे
उनके महान इतिहास से
जिसमे उन्होंने उगाया था
अन्न और कपास
बनाई थी नहरें, सड़कें, हसुये और हथौड़े
हम तो चार्वाक के साथ हैं
जिनकी हत्या तुम्हारी सभा मे
इसलिए कर दी गयी
की वे विरोध करते थे
तुम्हारे मूर्खतापूर्ण पुराणों का
जिनमे राहु और केतु निगलते थे
सूरज और चांद को,
और थीं भूत और आत्मा की
निरर्थक बातें।
युधिष्ठिर! जब बात होती है
विज्ञान की, बराबरी की
जाति उन्मूलन की
तब तुम धर्म पर खतरा बताते हो
क्योंकि अंधविश्वास, जाति और
श्रम और राजसत्ता की लूट, ही
तुम्हारा धर्म है।

–हेमंत

रिपोर्ट

फासीवाद विरोधी मोर्चा का पहला सेमिनार सफलतापूर्वक संपन्न

–शैलेश

उत्तर प्रदेश में कुछ जन संगठनों ने वर्ष 2017 के अंतिम महीनों से एक प्रयास शुरू किया था। यह प्रयास देश और दुनिया में फासीवाद के उभार को ध्यान में रखते हुए एक व्यापक मोर्चा बनाने के लिए किया गया। यह मोर्चा तात्कालिक व दीर्घकालिक प्रकृति का होगा। फासीवादी हमलों पर बयान, जांच रिपोर्ट, प्रदर्शन, धरना व मोर्चा लेने से लेकर फासीवादी व्यवस्था को ध्वस्त कर जनवादी सामाजिक व्यवस्था के निर्माण की जमीन तैयार करना इस मोर्चे का लक्ष्य रखा जायेगा। इस हेतु एक प्ररिप्रेक्ष्य तैयार करके लगभग 29 संगठनों जिनमें कुछ व्यक्ति भी शामिल हैं को मिलाकर फासीवाद विरोधी मोर्चा का गठन किया गया। भारत के खास सन्दर्भ में यह पाया गया कि यहां के फासीवाद का विशिष्ठ चरित्र मनुवादी हिन्दुत्व फासीवाद का है। इस मोर्चे की तरफ से 25 मार्च को आजमगढ़ शहर में एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार का विषय था **फासीवाद की चुनौतियाँ और हमारे कार्यभार।** इस सेमिनार में 400 से अधिक लोगों ने भाग लिया जिसमें विभिन्न संगठनोंकी तरफ से मजदूर , किसान, छात्र, नौजवान, महिलायें, बुद्धिजीवी, पत्रकार, दलित, अल्पसंख्यक एवं विविध पेशे से जूड़े लोगों ने भाग लिया।

कार्यक्रम की शुरुआत सांस्कृतिक टीम द्वारा **लड़ना है साथी ये तो लंबी लड़ाई है** और **भारत अपनी महान भूमि इसकी कहानी सुनो रे भाई** गीत गाकर हुआ। स्वागत व परिचय वक्तव्य रिहाई मंच के मसीहुद्दीन संजरी ने दिया। इसके बाद फासीवाद विरोधी मोर्चा के अखबार फासीवाद और हर तरह के शोषण–दमन के... **विरुद्ध** का विमोचन किया गया।

कार्यक्रम के मुख्य वक्ता के रूप में गांधीवादी सामाजिक कार्यकर्ता हिमांशु कुमार ने सरल और प्रभावीशाली शैली में बात रखते हुए कहा कि जो लोग सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं वह सबसे गरीब हैं, उनकी इज्जत नहीं है। जो सबसे कम मेहनत करते हैं वह सबसे अमीर हैं तथा इज्जतदार लोग हैं। यह अन्याय है और जब तक अन्याय रहेगा तब तक अशांति व संघर्ष रहेगा। इसे पुलिस फौजों द्वारा शांत नहीं किया जा सकता है। उदाहरण स्वरूप एक बच्चे को दो बिस्कुट दीजिए एक को एक बिस्कुट दीजिए तो वह बच्चा फेंक देगा, जमीन पर लेट जाएगा, चिल्लाएगा या छीनेगा। वह बच्चा अन्याय के खिलाफ लड़ रहा है। उस 3 साल के बच्चे को किस माओवादी ने सिखाया है कि लड़ो।

भारतीय समाज के रग रग में अन्याय भरा है। मरे जानवरों को ले जाने वाला निची जाति का है। लकड़ी का, लोहे का, मिट्टी के बर्तन बनाने, कपड़े बनाने, बाल काटने, कपड़े धोने का काम करने वाले निची जाति के है। जो भी काम करे वह निची जाति का है और काम ना करने वाले ऊंची जाति के हैं। मनुस्मृति में यह लिखकर की शूद्र को संपत्ति रखने का अधिकार नहीं है, पूंजीवाद की पक्की व्यवस्था की गई है

भारत महान देश है और पाकिस्तान खराब देश है। जिस देश को हमने देखा ही नहीं उस पाकिस्तान को दुश्मन बताया जाता है।

भारत में भी मुसोलिनी से प्रभावित एक राष्ट्रवाद पैदा हो रहा था। मुसोलिनी ने इटली को फर्जी ताकतवर बनाने के नाम पर युद्ध का उन्माद पैदा किया। उसने कहा कि जो मजदूर युद्ध का विरोध करते हैं, जो बुद्धिजीवी–छात्र युद्ध का विरोध करते हैं वे इटली को कमजोर बना रहे हैं। मुसोलिनी ने हजारों ट्रेड यूनियन नेताओं बुद्धिजीवियों छात्रों को फांसी दे दी। राष्ट्रवाद और देशप्रेम में फर्क है। राष्ट्रवाद प्रतीकों की बात करता है। यह राष्ट्रवाद झंडे, भारत माता की बात करेगा लेकिन सैनिक की बात नहीं करेगा। यदि कोई सैनिक कहेगा की दाल पतली मिल रही है तो उस सैनिक को नौकरी से निकाल दिया जाएगा। इसका मुख्यालय नागपुर में है। नागपुर विदर्भ में है जहां सबसे ज्यादा किसान आत्महत्या कर रहे हैं। आपने कभी सुना है कि मोहन भागवत ने कभी किसानों पर बोला हो, ऐसे ही कभी छात्रों, आदिवासियों की बात किया हो? जबकि देश प्रेम व राष्ट्र का मतलब है हमारे चारों तरफ के छात्र, नौजवान, किसान, मजदूर, आदिवासी लोग, पर्यावरण, पहाड़, नदिया जंगल, यह सारा देश है। इनसे जरूर प्यार करना चाहिए।

जहां मैने काम किया है वहां की बात करते हैं। हमारे देश की सेनाएं सबसे ज्यादा कहां पर हैं? आदिवासी क्षेत्रों में। क्या करने गई हैं? वहां जंगल पहाड़ों नदियों आदिवासियों की रक्षा करने? नहीं, वहां वह जमीनों, खनिजों, नदियों, पहाड़ों को कब्जा करने गई हैं। गरीबों के लिए नहीं बल्कि मुट्ठी भर अमीरों के लिए। हमारे देश में एक युद्ध चल रहा है वह कोई आधा अधूरा नहीं बल्कि पूर्ण युद्ध है। जहां सेनाएं, बंदूकें, हवाई जहाज, बम हैं। इस युद्ध में हत्याएं, बलात्कार होते हैं। जेलें भरी हैं खचाखच। दुनिया में 62 देशों से आदिवासियों का सफाया कर दिया गया है। अमेरिका में छह करोड़ तथा कनाडा न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में आदिवासियों को मार दिया गया। आज भारत में आदिवासियों को मारने पर कैस इनाम दिया जा रहा है। बस्तर में 650 गांवो को जला दिया गया है।

उन्होंने आगे कहा कि मुस्लिम आतंकवाद का हौवा सिर्फ भाजपा ने नहीं खड़ा किया बल्कि कांग्रेस के राजीव गांधी के समय में ही जब दुनिया में पूंजीवाद आ रहा था अपने विकराल रूप में। तब टाडा, पोटा, मकोका कानून बनाकर के 95 प्रतिशत तक मुसलमानों को जेल में डाला गया। जिसमें से बाद में 98 प्रतिशत तक निर्दोष साबित हुए। यह हौवा कांग्रेस ने खड़ा किया। सारी पार्टियों ने ऐसा ही किया। क्योंकि पूंजीवाद आ रहा था और लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा फेल होने लगी थी। सरकारों को समझ में आ गया था कि अब हम नौजवानों को रोजगार व शिक्षा नहीं दे सकते। तब हम राज कैसे करेंगे? आजादी के बाद कोई मुस्लिम संप्रदायिकता नहीं थी। देश में फर्जी तरीके से यह खड़ा किया गया है। मोदी तो सिर्फ फसल काट रहा है। फासीवाद केवल एक पार्टी का सवाल नहीं है। अब यह एक पूरा अर्थनीति, समाजनीति, राजनीति का सवाल है। भाजपा चली जाएगी तो फासीवाद चला जाएगा ऐसा नहीं है। यह ऐसे ही चलता रहेगा। इससे लड़ने का कोई दूसरा ही रास्ता है। इसलिए स्त्री–पुरुष समानता, आदिवासियों, दलितों, छात्र–नौजवानों के रोजगार के लिए मजदूरों–किसानों के लिए फासीवाद को हराने के लिए आप अंबेडकरवादी हो, गांधीवादी हो, मार्क्सवादी हो या बुद्ध, मोहम्मद, महावीर किसी को मानने वाले हो सभी साथ आइये! एक ऐसी दुनिया बनाएं जिसमे युद्ध ना हो, लूट ना हो, अहिंशा हो।

दूसरे मुख्य वक्ता के रूप में दस्तक पत्रिका के संपादक मानवाधिकार कार्यकर्ता सीमा आजाद ने कहा कि फासीवाद है कि नहीं है? कैसा है? यह जानने के लिए हम इसी रूप में देखते हैं कि पूंजी कहां पर कैसे दमन कर रही है। इसमें दो बातें हैं। एक तो जो दमन का तरीका है उस दमन को लाने वाली कौन सी व्यवस्था है। वह हम देखते हैं कि इस देश की अपनी खास पहले से चली आ रही एक फासिस्ट व्यवस्था है मनुवादी व्यवस्था। उसी को माध्यम बनाकर आ रही है। इसको अगर हम नजरअंदाज कर देंगे तो, जैसा बहुत लोगों ने कहा हम लड़ाई को भटका देंगे। लेकिन हम यह कहते हैं कि हमारे देश में उसी मनुवादी फासीवाद के कारण जनवाद की लड़ाई आधी रह गई है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि हमारे देश में जो क्रांति होगी वह नवजनवादी क्रांति होगी। अभी महिलाओं को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को जनवादी अधिकार नहीं मिला है। जब हम वर्गीय ध्रुवीकरण की बात करते हैं तो हम इस जनवाद को कैसे छोड़ सकते हैं ?

आज महिलाओं को सभा में देख कर अच्छा लग रहा है। क्योंकि उन पर फांसीवाद का दमन ज्यादा है। आगे आने वाले दिनों में महिलाएं और आगे आएंगी। महिलाओं पर दमन का एक उदाहरण है हादिया का मामला जिसमें एक 24 वर्ष की लड़की अपनी पसंद से हिंदू लड़के से शादी करती है। तो कोर्ट कहती है कि लड़के ने उसे बरगलाया है। आखिर यह किस तरह का जनवाद है। उसके ऊपर एनआईए की जांच बैठता है। दूसरा उदाहरण है बीएचयू की लड़कियों का मामला जहां उनको लाइब्रेरी में पढ़ने का अधिकार नहीं है। 7:00 बजे हॉस्टल के गेट बंद कर दिए जाते हैं। इसको लेकर उन्होंने आंदोलन भी किया और कोर्ट भी गए। सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि हम सुरक्षा नहीं दे सकते हैं इसलिए बाहर जाने की इजाजत नहीं है। आखिर यह कैसा जनवाद है? यह खुल्लम–खुल्ला जनवाद का उल्लंघन है कि लड़कियां लाइब्रेरी में नहीं पढ़ सकतीं। यह हमें दिखा रहा है कि पूंजीवादी जनवाद भी लागू नहीं है।

ये जो साम्राज्यवादी पूंजी का एकाधिकारी रूप है वह केवल पूंजी तक ही सीमित नहीं रहता है। हमारे समाज में जब वह बात करता है तो वह एक वर्ण की बात करता है, एक ही राष्ट्र रहेगा, आगे बढ़कर एक ही धर्म रहेगा और उसके आगे बढ़कर एक ही जाति रहेगी और उससे भी आगे बढ़कर एक ही जेंडर रहेगा। वह लोगों के जनवाद पर इस तरीके से हमला करता है जो कमजोर हैं उसको लगातार किनारे करता जाता है। क्योंकि हमारे देश में ब्राह्मणवादी मनुवादी पूंजीवाद है इसलिए यह करना बहुत आसान हो जाता है। माओ ने कहा है कि **हजारों फूलों को खिलने दो सैकड़ों विचारों को झिलमिलाने दो**। असली लोकतंत्र यह है। यह नहीं की एकाधिकारी सत्ता स्थापित करें और एक राष्ट्र, एक जेंडर, एक धर्म, एक समुदाय, एक वर्ग ही सत्ता में रहेगा और बाकी बाहर हो जाएंगे। इसलिए इस एक एकाधिकारी पूंजी से लड़ने के लिए इसको तोड़ना पड़ेगा। इस लूट और पूंजी के व्यवस्था को छोड़कर इंसान के लिए और इंसान की जरूरतों के आधार पर समाज व्यवस्था का निर्माण करना पड़ेगा। अगर समाजवाद बोलने में किसी को प्रॉब्लम है तो वह कुछ और बोल ले। अगर यह समझदारी नहीं होगी तो हम फांसीवाद को नहीं हरा सकते हैं।

कार्यक्रम में विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि के रूप में सूरज पाल, ब्रजेश यादव, चतुरानन, डॉ सागर, अरविन्द मुर्ती, अरविन्द भारती, कन्हैया, रितेश विद्यार्थी, पान सिंह, डॉ असीम सत्यदेव, रविन्द्र नाथ राय, सलीम, गिरिजेश तिवारी, दिनेश चौधरी, राघवेन्द्र, बाबूरा विश्वकर्मा आदि ने बात रखी व कार्यक्रम में राजदेव, विश्वम्भर, प्रभा, शैलेश, जितेन्द्र, विनय, हेमंत, स्वाती, शीला आदि ने गीत व गज़ल पेश किया था। कार्यक्रम का संचालन विश्वविजय, विषय प्रवर्तन कृपा शंकर व अध्यक्षता कन्हैया लाल यादव ने किया था।

हमारा अपना महिषासुर

– गौरी लंकेश

एक दैत्य अथवा महान उदार द्रविड़ शासक, जिसने अपने लोगों की लुटेरे–हत्यारे आर्यो से रक्षा की।

महिषासुर ऐसे व्यक्तित्व का नाम है, जो सहज ही अपनी ओर लोगों को खींच लेता है। उन्हीं के नाम पर मैसूर नाम पड़ा है। यद्यपि कि हिंदू मिथक उन्हें दैत्य के रूप में चित्रित करते हैं, चामुंडी द्वारा उनकी हत्या को जायज ठहराते हैं, लेकिन लोकगाथाएं इसके बिल्कुल भिन्न कहानी कहती हैं। यहां तक कि बी. आर. अम्बेडकर और ज्योतिराव फूले जैसे क्रांतिकारी चिन्तक भी महिषासुर को एक महान उदार द्रविड़ियन शासक के रूप में देखते हैं, जिसने लुटेरे–हत्यारे आर्यो (सुरों) से अपने लोगों की रक्षा की।

इतिहासकार विजय महेश कहते हैं कि 'माही' शब्द का अर्थ एक ऐसा व्यक्ति होता है, जो दुनिया में 'शांति कायम करे। अधिकांश देशज राजाओं की तरह महिषासुर न केवल विद्वान और शक्तिशाली राजा थे, बल्कि उनके पास 177 बुद्धिमान सलाहकार थे। उनका राज्य प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर था। उनके राज्य में होम या यज्ञ जैसे विध्वंसक धार्मिक अनुष्ठानों के लिए कोई जगह नहीं थी। कोई भी अपने भोजन, आनंद या धार्मिक अनुष्ठान के लिए मनमाने तरीके से अंधाधुंध जानवरों को मार नहीं सकता था। सबसे बड़ी बात यह थी कि उनके राज्य में किसी को भी निकम्मे तरीके से जीवन काटने की इजाजत नहीं थी। उनके राज्य में मनमाने तरीके से कोई पेड़ नहीं काट सकता था। पेडों को काटने से रोकने के लिए उन्होंने बहुत सारे लोगों को नियुक्त कर रखा था।

विजय दावा करते हैं कि महिषासुर के लोग धातु की ढलाई की तकनीक के विशेषज्ञ थे। इसी तरह की राय एक अन्य इतिहासकार एम.एल. शेंदज प्रकट करती हैं, उनका कहना है कि "इतिहासकार विंसेन्ट ए स्मिथ अपने इतिहास ग्रंथ में कहते हैं कि भारत में ताम्र–युग और प्राग ऐतिहासिक कांस्य युग में औजारों का प्रयोग होता था। महिषासुर के समय में पूरे देश से लोग, उनके राज्य में हथियार खरीदने आते थे। ये हथियार बहुत उच्च गुणवत्ता की धातुओं से बने होते थे। लोककथाओं के अनुसार महिषासुर विभिन्न वनस्पतियों और पेड़ों के औषधि गुणों को जानते थे और वे व्यक्तिगत तौर पर इसका इस्तेमाल अपने लोगों की स्वास्थ्य के लिए करते थे। क्यों और कैसे इतने अच्छे और शानदार राजा को खलनायक बना दिया गया? इस संदर्भ में सबल्टर्न संस्कृति के लेखक और शोधकर्ता योगेश मास्टर कहते हैं कि "इस बात को समझने के लिए सुरों और असुरों की संस्कृतियों के बीच के संघर्ष को समझना पड़ेगा"। वे कहते हैं कि " जैसा कि हर कोई जानता है कि असुरों के महिषा राज्य में बहुत भारी संख्या में भैंसे थीं। आर्यो की चामुंडी का संबंध उस संस्कृति से था, जिसका मूल धन गायें थीं। जब इन दो संस्कृतियों में संघर्ष हुआ, तो महिषासुर की पराजय हुई और उनके लोगों को इस क्षेत्र से भगा दिया गया"।

कर्नाटक में न केवल महिषासुर का शासन था, बल्कि इस राज्य में अन्य अनेक असुर शासक भी थे। इसकी व्याख्या करते हुए विजय कहते हैं कि "1926 में मैसूर विश्वविद्यालय ने इंडियन इकोनामिक कांफ्रेंस के लिए एक पुस्तिका प्रकाशित की थी, जिसमें कहा गया था कि कर्नाटक राज्य में असुर मुखिया लोगों के बहुत सारे गढ़ थे। उदाहरण के लिए गुहासुर अपनी राजधानी हरिहर पर राज्य करते थे। हिडिम्बासुर चित्रदुर्ग और उसके आसपास के क्षेत्रों पर शासन करते थे। बकासुर रामानगर के राजा थे। यह तो सबको पता है कि महिषासुर मैसूर के राजा थे। यह सारे तथ्य यह बताते हैं कि आर्यों के आगमन से पहले इस पूरे क्षेत्र पर देशज असुरों का राज था। आर्यों ने उनके राज्य पर कब्जा कर लिया"।

मैसूर में महिषासुर दिवस पर सेमिनार, जिसमें लेखकों ने उन्हें बौद्ध राजा बताया ओर उनके अपमान का विरोध किया। अम्बेडकर ने भी ब्राह्मणवादी मिथकों के इस चित्रण का पुरजोर खण्डन किया है कि असुर दैत्य थे। अम्बेडकर ने अपने एक निबंध में इस बात पर जोर देते हैं कि "महाभारत और रामायण में असुरों को इस प्रकार चित्रित करना पूरी तरह गलत है कि वे मानव–समाज के सदस्य नहीं थे। असुर मानव समाज के ही सदस्य थे"। अम्बेडकर ब्राह्मणों का इस बात के लिए उपहास उड़ाते हैं कि उन्होंने अपने देवताओं को दयनीय कायरों के एक समूह के रूप में प्रस्तुत किया है। वे कहते हैं कि हिंदुओं के सारे मिथक यही बताते हैं कि असुरों की हत्या विष्णु या शिव द्वारा नहीं की गई है, बल्कि देवियों ने किया है। यदि दुर्गा (या कर्नाटक के संदर्भ में चामुंडी) ने महिषासुर की हत्या की, तो काली ने नरकासुर को मारा। जबकि शुंब और निशुंब असुर भाईयों की हत्या दुर्गा के हाथों हुई। वाणासुर को कन्याकुमारी ने मारा। एक अन्य असुर रक्तबीज की हत्या देवी शक्ति ने की। अम्बेडकर तिरस्कार के साथ कहते हैं कि "ऐसा लगता है कि भगवान लोग असुरों के हाथों से अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने अपनी पत्नियों को, अपने आप को बचाने के लिए भेज दिया"। आखिर क्या कारण था कि सुरों (देवताओं) ने हमेशा अपनी महिलाओं को असुरों राजाओं की हत्या करने के लिए भेजा। इसके कारणों की व्याख्या करते हुए विजय बताते हैं कि "देवता यह अच्छी तरह जानते थे कि असुर राजा कभी भी महिलाओं के खिलाफ अपने हथियार नहीं उठायेंगे। इनमें से अधिकांश महिलाओं ने असुर राजाओं की हत्या कपटपूर्ण तरीके से की है। अपने शर्म को छिपाने के लिए भगवानों की इन हत्यारी बीवियों के दस हाथों, अदभुत हथियारों इत्यादि की कहानी गढ़ी गई। नाटक–नौटंकी के लिए अच्छी, लेकिन अंसभव सी लगने वाली इन कहानियों, से हट कर हम इस सच्चाई को देख सकते हैं कि कैसे ब्राह्मणवादी वर्ग ने देशज लोगों के इतिहास को तोड़ा–मरोड़ा। इतिहास को इस प्रकार तोड़ने–मरोड़ने का उनका उद्देश्य अपने स्वार्थों की पूर्ति करना था।

महिष–दशहरा पर अयोजित मोटरसाइकिल रैली केवल बंगाल या झारखण्ड में ही नहीं, बल्कि मैसूर के आस–पास भी कुछ ऐसे समुदाय रहते हैं, जो चामुंडी को उनके महान उदार राजा की हत्या के लिए दोषी ठहराते हैं। उनमें से कुछ दशहरे के दौरान महिषासुर की आत्मा के लिए प्रार्थना करते हैं। जैसा कि चामुंडेश्वरी मंदिर के मुख्य पुजारी श्रीनिवास ने मुझसे कहा कि "तमिलनाडु से कुछ लोग साल में दो बार आते हैं और महिषासुर की मूर्ति की आराधना करते हैं"।

पिछले दो वर्षों से असुर पूरे देश में आक्रोश का मुद्दा बन रहे हैं। यदि पश्चिम बंगाल के आदिवासी लोग असुर संस्कृति पर विचार–विमर्श के लिए विशाल बैठकें कर रहे हैं, तो देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों के कैम्पसों में असुर विषय–वस्तु के इर्द–गिर्द उत्सव आयोजित किए जा रहे हैं। बीते साल उस्मानिया विश्वविद्यालय और काकटिया विश्वविद्यालय के छात्रों ने 'नरकासुर दिवस' मनाया था। चूंकि जेएनयू के छात्रों के महिषासुर उत्सव को मानव संसाधन मंत्री (तत्कालीन) ने इतनी देशव्यापी लोकप्रियता प्रदान कर दी थी कि, मैं उसके विस्तार में नहीं जा रही हूं।

महिषासुर और अन्य असुरों के प्रति लोगों के बढ़ते आकर्षण की क्या व्याख्या की जाए? क्या केवल इतना कह करके पिंड छुडा लिया जाए कि, मिथक इतिहास नहीं होता, लोकगाथाएं भी हमारे अतीत का दस्तावेज नहीं हो सकती हैं। विजय इसकी सटीक व्याख्या करते हुए कहते हैं कि "मनुवादियों ने बहुजनों के समृद्ध सांस्कृतिक इतिहास को अपने हिसाब से तोड़ा–मरोड़ा। हमें इस इतिहास पर पड़े धूल–धक्कड़ को झाडंना पडेगा, पौराणिक झूठों का पर्दाफाश करना पड़ेगा और अपने लोगों तथा अपने बच्चों को सच्चाई बतानी पड़ेगी। यही एकमात्र रास्ता है, जिस पर चल कर हम अपने सच्चे इतिहास के दावेदार बन सकते हैं। महिषासुर और अन्य असुरों के प्रति लोगों का बढता आकर्षण बताता है कि वास्तव में यही काम हो रहा है।

(गौरी लंकेश ने यह रिपोर्ट मूल रूप से अंग्रेजी में लिखी थी, जो वेब पोर्टल बैंगलोर मिरर में 29 फरवरी, 2016 को प्रकाशित हुई थी) साभार– हिमांशु कुमार की फेसबुक पोस्ट से

श्रद्धांजलि

जस्टिस राजिंदर सच्चर

जस्टिस राजिंदर सच्चर नहीं रहे। 20 अप्रैल 2018 की दोपहर उन्होंने दिल्ली में अंतिम सांस ली। जस्टिस सच्चर लंबे समय से बीमार चल रहे थे, उनके घुटने जवाब दे गए थे लेकिन आखिरी समय तक वे आंदोलनों और मानवाधिकरों से जुड़े मामलों में सक्रिय रहे। उम्र के पड़ाव के नब्बेवें दशक में चल रहे जस्टिस सच्चर नौजवानों से भी ज्यादा सक्रिय दिखाई देते थे।

जस्टिस सच्चर का जन्म 1923 में हुआ था। वे दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रह चुके थे। मानवाधिकारों के प्रसार पर संयुक्त राष्ट्र के उपायोग के वे सदस्य थे और मानवाधिकार संगठन पीयूसीएल के साथ जुड़े थे। कई साल तक वे पीयूसीएल के अध्यक्ष रहे।जस्टिस सच्चर का इस देश को सबसे बड़ा योगदान भारत सरकार द्वारा गठित सच्चर कमेटी की सिफारिशें थीं, जिसमें भारत के मुसलमानों के सामाजिक, शैक्षणिक आर्थिक हालात का ब्योरा था। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को आए दशक भर हो रहा है लेकिन आज तक उस पर किसी सरकार ने काम नहीं किया। लेकिन अपने इस गम्भीर और महत्वपूर्ण कार्य के लिए वे याद किये जाते रहेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट से जस्टिस के तौर पर रिटायर होने के बाद वे सुप्रीम कोर्ट में वकालत भी कर रहे थे। पीयूसीएल से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुकदमों में उन्होनें बहस की, बावजूद इसके कि उनकी उम्र अधिक हो गयी थी। वर्तमान में भाजपा की सरकार आने के बाद, जबसे जनता पर फासीवादी दमन बढ़ गया है, जस्टिस सच्चर लगभग हर मुद्दे पर अपने लेखों के माध्यम से सक्रिय थे। इस मायने में उनकी तत्परता देखने लायक थी। एक साल पहले जब उप राष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने मानवाथिकार संगठनों पर यह आरोप लगाया कि माओवादियों के समर्थक हैं, जस्टिस सच्चर ने उनका लिखित जवाब तुरन्त दिया।

पेज नं0–5 का शेष

- बोरिया–कासनासुर, राजाराम खंडाला, कोयन वरसी और रेखानेर में हुए फर्जी मुठभेड़ों की न्यायिक जांच हो।
- पुलिस क्रूरता के खिलाफ बोलने वाले सिविल सोसाइटी के सदस्यों के ऊपर दर्ज सारे झूठे केस वापस लिए जाएं फर्जी मुठभेड़ों की योजना बनाने वालों तथा पुलिस बल का अंधाधुंध इस्तेमाल करने के लिए जिम्मेदार लोगों पर केस दर्ज किए जाएं।
- इलाके से पुलिस तथा अर्धसैनिक बल हटाए जाएं।
- ग्राम सभा के लिए PES। एक्ट में संशोधन को वापस लिया जाए।
- तेंदूपत्ता और बांस एकत्र करने के काम को बिना किसी बाधा के संचालित होने तथा वाजिब दाम की सरकार को बिक्री के लिए जंगलों को सुरक्षित किया जाए।

जाँच टीम–

कोआर्डिनेशन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स आर्गेनाईजेशन (C.D.R.O), इंडियन एसोसिएशन ऑफ पीपल्स लायर्स (I.A.P.L.)

वूमेन अगेंस्ट स्टेट प्रिपरेशन एंड सेक्सुअल वायलेंस (W.S.S.)